

दिनांक 05 फरवरी, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

कृषि वस्तुओं में व्यापार

469. श्री के. सुधाकरन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 2004 और 2018 के बीच भारत में कृषि निर्यातों और आयातों की वर्ष-वार, उत्पाद-वार रुपये में निवल मूल्य कितना है;
- (ख) 2004 और 2018 के बीच भारत से कृषि निर्यातों और आयातों की वर्ष-वार और उत्पाद-वार मात्रा कितनी है;
- (ग) क्या कृषि वस्तुओं के आयात का निवल मूल्य निर्यात मूल्य से अधिक है; और
- (घ) यदि हां, तो उत्पाद-वार और वर्ष-वार वर्गीकरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): 2004-05 से 2018-19 के दौरान भारत से कृषि निर्यातों के मूल्य एवं मात्रा का ब्यौरा वर्ष-वार एवं उत्पादवार अनुलग्नक-I में है। 2004-05 से 2018-19 के दौरान भारत से कृषि आयातों के मूल्य एवं मात्रा का ब्यौरा वर्षवार एवं उत्पादवार अनुलग्नक -II में है ।

(ग): जी नहीं। निर्यातों एवं आयातों का वर्षवार ब्यौरा अनुलग्नक - I और II में दिया गया है।

(घ): उपरोक्त (ग) के मददेनजर प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक 05 फरवरी, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

jkgrd vkj >Ttj l fu;kr

671- Mkiñ vjfoUn dekj 'kek%

D;k okf.kT; vkj m|kx e=h ;g crku dh d'ik djix fd%

- (क) रोहतक और झज्जर जिलों तथा दिल्ली-एनसीआर में उनके महत्वपूर्ण स्थानों से कलपुर्जो, फासनर्स, जूतों, कृषि उत्पादों और रसायनों के निर्यात को देखते हुए क्या मंत्रालय की अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) और निर्यात सुविधा केन्द्र खोलने की कोई योजना है; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : सीबीआईसी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय देश में स्वयं इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) की स्थापना नहीं करता है। आईसीडी की स्थापना के लिए विकासकों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों को अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) के समक्ष रखा जाता है, जो प्रस्ताव के स्वीकृत होने पर विकासकों को आशय-पत्र जारी करती है। रोहतक और झज्जर में आईसीडी की स्थापना के लिए आईएमसी के समक्ष कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्य विभाग द्वारा निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों की कार्यान्वयन एजेंसियों को अपरिहार्य निर्यात लिकेज़ यथा बार्डर हाट, भू-सीमाशुल्क केंद्रों, निर्यात के लिए गुणवत्ता, परीक्षण एवं प्रमाणन प्रयोगशालाओं, व्यापार संवर्धन केंद्रों, निर्यात सुगमीकरण केंद्रों इत्यादि सहित अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की स्थापना एवं उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। रोहतक और झज्जर में टीआईईसी के अंतर्गत निर्यात सुगमीकरण केंद्र की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

दिनांक 05 फरवरी, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

dk t। m | kx e: l idV

663- Jh , uñ dñ i:epUnu%

D; k okf.kT; vkj m | kx e=h ; g crku dh d'ik djix fd%

- (क) क्या भारतीय काजू उद्योग संकट में है;
- (ख) यदि हां, तो काजू उद्योग के पुनरुद्धार के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या बोक गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) की समस्या के कारण काजू उद्योग की कुर्की कर रहे हैं और यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार का काजू उद्योग द्वारा लिए गए ऋणों का अधिस्थगन घोषित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार का पुनरुद्धार पैकेज को लागू करने के लिए बोकों को निदेश देने का विचार है और यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या काजू उद्योगों के बंद होने के कारण काजू श्रमिक अपना रोजगार गंवा रहे हैं; और
- (छ) यदि हां, तो श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : सरकार के संज्ञान में आया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काजू गिरी की आपूर्ति की स्थिति के कारण काजू उद्योग के कुछ भागों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने काजू उद्योग को प्रभावित करने वाली विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने के लिए कई उपाय किए हैं :

- (i) दिनांक 12 जून, 2019 की अधिसूचना के तहत काजू की गिरी, साबुत और टूटी हुई दोनों के लिए आयात नीति को 'मुक्त' से बदलकर 'निषिद्ध' कर दिया गया है और आयात की अनुमति तभी दी जाती है जब टूटी काजू गिरी का सीआईएफ मूल्य 680/-रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक और साबुत काजू गिरी का सीआईएफ मूल्य 720/-रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक होता है।
- (ii) दिनांक 01.02.2018 से कच्ची काजू गिरी के आयात पर आधारभूत सीमा-शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
- (iii) काजू गिरी के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

- (iv) विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की मध्यावधि समीक्षा के तहत, काजू के लिए भारतीय पण्यवस्तु निर्यात स्कीम को काजू गिरी के लिए (3 प्रतिशत से) बढ़ाकर 5 प्रतिशत और नमकीन/भुने हुए काजू के लिए (5 प्रतिशत से) बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया था।
- (v) अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत, आयातित कच्ची काजू गिरी से काजू गिरी के निर्यात के लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नाम्स (एसआईओएन) को 4 किलोग्राम कच्ची काजू गिरी से 1 किलोग्राम के पिछले मानदंड के स्थान पर 5.04 किलोग्राम कच्ची काजू गिरी से 1 किलोग्राम काजू गिरी के लिए संशोधित कर दिया गया है।
- (vi) काजू प्रोसेसिंग यूनिट के प्रोसेस मेकेनाइजेशन और ऑटोमेशन के लिए 60.00 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से मध्यावधि फ्रेमवर्क (2017-20) स्कीम स्वीकृत की गई।
- (vii) अल्प विकसित देशों (एलडीसी) से कच्ची काजू गिरी के शुल्क मुक्त टैरिफ प्रीफ़ेरेन्स (डीएफटीपी) स्कीम के अंतर्गत शुल्क मुक्त आयात को अनुमति दी गई है।
- (viii) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई) को क्रेता-विक्रेता बैठकों के आयोजन और बाजार पहुंच पहल स्कीम के अंतर्गत नए बाजारों और ब्रांडिंग को टैप करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ग) से (ड.) : उद्योग से प्राप्त सूचना के अनुसार काजू उद्योग की ओर से बकाया ऋणों की वसूली के लिए बैंक कार्रवाई कर रहे हैं। भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई) ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें काजू निर्यातकों द्वारा लिए गए ऋणों का स्थगन करने, बकाया बैंक देयों और अतिरिक्त फंडिंग का पुनर्गठन करने का अनुरोध किया है। वाणिज्य विभाग ने यह प्रस्ताव विचारार्थ वित्तीय सेवा विभाग को भेज दिया है।

(च) और (छ) : वाणिज्य विभाग को काजू उद्योगों के बंद होने से काजू कामगारों के बेरोजगार होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 05 फरवरी, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

वेजहदक }कjk yxk, x, i:'kYd

656- Jh pUnu flig%

Jh dk'kyUni dekj:

D;k okf.kT; vkj m|kx e=h ;g crku dh dik djix fd%

- (क) क्या भारतीय निर्यातक इस्पात, एल्युमिनियम और सूचना-प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाओं के निर्यात के संबंध में अमरीका द्वारा लागू किए गए प्रशुल्क के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्रशुल्क समाप्त करने के लिए अमरीकी प्राधिकारियों के साथ यह मामला उठाया है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका परिणाम क्या रहा है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : मार्च, 2018 में अमरीका ने भारत सहित विभिन्न देशों से इस्पात के आयात पर 25 प्रतिशत और एल्युमीनियम के आयात पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रशुल्क अधिरोपित किया है। इन प्रशुल्कों में बढ़ोतरी का प्रभाव सीमित है। वर्ष 2017-18 में भारत के इस्पात आयात में अमरीका का हिस्सा 3.3 प्रतिशत था जो वर्ष 2018-19, जिस वर्ष प्रशुल्क अधिरोपित किया गया था, में घटकर 2.5 प्रतिशत पर आ गया। अमरीका ने हाल में भारत से सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं पर कोई प्रशुल्क अधिरोपित नहीं किया है।

मार्च, 2018 से अमरीका द्वारा एल्युमीनियम और इस्पात के आयात पर अतिरिक्त प्रशुल्क अधिरोपित करने के बाद भारत ने डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत विवाद निपटान तंत्र के समक्ष अमरीका के उपायों को चुनौती दी है।

दिनांक 05 फरवरी, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

tifod mRikn di fu;kr ei of)

645- Jh je:'k pUn: dkf'kd%

Jh fnyhi 'kdbh;kh

D;k okf.kT; vkj m|kx e=h ;g crku: dh dik djixi fd%

(क) सरकार द्वारा जैविक उत्पाद का निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे, कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में जैविक उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार असम और हरियाणा सहित सभी राज्यों में जैविक उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जैविक उत्पादों का निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त संगठन, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को जैविक उत्पादों के निर्यात संवर्धन करने का अधिदेश है। एपीडा अपनी निर्यात संवर्धन स्कीमों के विभिन्न घटकों के तहत जैविक उत्पादों के निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है। एपीडा जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न गतिविधियां अर्थात् जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत नए उत्पादों को शामिल करना, एनपीओपी मानकों को आयात करने वाले देशों से मान्यता प्राप्त करने के प्रयास करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से 'इंडिया आर्गेनिक' ब्रांड को बढ़ावा देना, क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित करना, क्षमता निर्माण एवं आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना आदि करता है।

(ख) : पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए जैविक उत्पाद की प्रमात्रा निम्नानुसार है :-

वर्ष	मात्रा (एमटी)	मूल्य करोड़ रुपये में	मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में
2018-19	614,090	5150.99	757
2017-18	458,339	3453.48	516
2016-17	309,767	2478.17	370

स्रोत: ट्रेसनेट में प्रमाणन निकायों द्वारा प्रस्तुत डेटा

(ग) और (घ) : जी, हां। एपीडा जैविक कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आउटरीच कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करता है। ब्यौरा अनुबंध-1 में है। एपीडा ने भारतीय जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बायोफैक इंडिया के 10वें और 11वें संस्करण का क्रमशः अक्टूबर, 2018 और नवम्बर, 2019 में आयोजन कराया। एपीडा ने जैविक उत्पादों के भारतीय निर्यातकों को न्यूरेम्बर्ग, जर्मनी और अनहिम, यूएसए में आयोजित जैविक उत्पादों के दो विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भारतीय पेवेलियन लगाकर भागीदारी की सुविधा प्रदान की।

एपीडा द्वारा वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान भारत से जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयोजित प्रशिक्षण/आउटरीच और अन्य कार्यक्रमों का विवरण।

2016-17

क्र. सं.	जागरूकता/प्रशिक्षण/आउटरीच कार्यक्रम	स्थान	दिनांक
1.	निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	गंगटोक, सिक्किम	मई 2016
2.	एनपीओपी और मार्केट कनेक्ट पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	गुवाहाटी, असम	20-21 जून 2016
3.	एनपीओपी और मार्केट कनेक्ट पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	शिलांग, मेघालय	4-5 जुलाई 2016
4.	एनपीओपी और मार्केट कनेक्ट पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	दीमापुर, नागालैंड	7-8 जुलाई 2016
5.	एनपीओपी और मार्केट कनेक्ट पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	नाहरलागुन अरुणाचल प्रदेश	28-29 जुलाई 2016
6.	एनपीओपी और मार्केट कनेक्ट पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	अगरतला, त्रिपुरा	10-11 अगस्त 2016
7.	एनपीओपी और मार्केट कनेक्ट पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	आइजौल, मिजोरम	4-5 अक्टूबर 2016
8.	क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिल्ली	22-23 जून 2016
9.	मूल्यांकन समिति के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण	दिल्ली	27-28 फरवरी 2017
10.	जैविक निर्यात पर आउटरीच प्रोग्राम	भोपाल, मध्य प्रदेश	25 नवंबर 2016
11.	शहद के जैविक उत्पादन पर जागरूकता कार्यक्रम	सुंदरबन, पश्चिम बंगाल	22 दिसंबर 2016
12.	जैविक निर्यात पर आउटरीच प्रोग्राम	भुवनेश्वर	26 दिसंबर 2016
13.	आउटरीच सह क्रेता-विक्रेता बैठक	गुवाहाटी, असम	18-19 जनवरी 2017
14.	क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिल्ली	07 फरवरी 2017

2017-18

क्र.सं.	जागरूकता / प्रशिक्षण / आउटरीच कार्यक्रम	स्थान	दिनांक
1.	एनपीओपी पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिल्ली	6-7 जुलाई 2017
2.	एनपीओपी पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिल्ली	18-20 दिसंबर 2017
3.	नई उत्पाद श्रेणियों पर मूल्यांकन समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण	दिल्ली	27-28 फरवरी 18
4.	जैविक उत्पादों और क्रेता-विक्रेता बैठक के लिए बाजार सुविधा पर आउटरीच	इंफाल, मणिपुर	17-18 अप्रैल 2017
5.	राष्ट्रीय व्यापार मेला जैविक उत्पाद और बाजरा 2017 के दौरान क्रेता और विक्रेता बैठक आयोजित करना	बेंगलूर	28-30 अप्रैल 2017
6.	जैविक उत्पादों के लिए बाजार की सुविधा पर आउटरीच	भुवनेश्वर, ओडिशा	2018/01/02
7.	जैविक उत्पादों के लिए बाजार सुविधा और क्रेता-विक्रेता बैठक पर आउटरीच	दीमापुर, नागालैंड	2018/03/19

उपर्युक्त के अतिरिक्त, एक मेगा इवेंट 19^{वां} विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया था जिसमें एपीडा प्रमुख भागीदार था।

1.	ऑर्गेनिक वर्ल्ड कांग्रेस	ग्रेटर नोएडा	9-11 नवंबर 2017
----	--------------------------	--------------	-----------------

2018-19

क्र.सं.	जागरूकता / प्रशिक्षण / आउटरीच कार्यक्रम	स्थान	दिनांक
1.	असम (8), मिजोरम (10), त्रिपुरा (8) और सिक्किम (9) राज्यों के लिए एनपीओपी पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	गुवाहाटी	28-29 मई 2018
2.	मणिपुर (9), मेघालय (13), नागालैंड (8) और अरुणाचल प्रदेश (12) के लिए एनपीओपी पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	गुवाहाटी	30-31 मई 2018
3.	आउटरीच-सह-क्रेता विक्रेता बैठक	अगरतला, त्रिपुरा	23 जुलाई 2018
4.	एनपीओपी पर सीबी के साथ बातचीत-सह-प्रतिक्रिया बैठक और प्रशिक्षण	एपीडा, दिल्ली	18 दिसंबर 2018
5.	निर्यात संवर्धन पर आउटरीच कार्यक्रम	भोपाल	2018/12/20
6.	निर्यात संवर्धन पर आउटरीच कार्यक्रम	इंदौर, मप्र	2018/12/21
7.	एनपीओपी और प्रमाणन प्रणालियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	इंदौर	2018/12/22
8.	मौजूदा ईसी सदस्यों के लिए एनपीओपी पर रिक्रेशर प्रशिक्षण	दिल्ली	2019/01/29
9.	नए ईसी सदस्यों के लिए एनपीओपी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिल्ली	30-31.01.2019
10.	निर्यात को बढ़ावा देने पर आउटरीच कार्यक्रम	पटना, बिहार	2019/02/05
11.	एनपीओपी पर प्रशिक्षण	पटना, बिहार	2019/02/06
12.	एनपीओपी पर प्रशिक्षण	रांची, झारखंड	2019/02/08
13.	झारखंड से निर्यात को बढ़ावा देने पर आउटरीच	रांची, झारखंड	2019/02/09

2019-20

क्र.सं.	जागरूकता/प्रशिक्षण/आउटरीच कार्यक्रम	स्थान	दिनांक
1.	आउटरीच-सह-क्रेता विक्रेता बैठक	कोहिमा नागालैंड	2019/08/20
2.	आउटरीच-सह-क्रेता विक्रेता बैठक	आइजोल, मिजोरम	21.12.2019
3.	अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक	अगरतला त्रिपुरा	26-27 सितंबर 2019
4.	अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक	इंफाल मणिपुर	
5.	रायपुर छत्तीसगढ़ में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण	रायपुर	27-28 सितंबर 2019
6.	एनई के प्रमाणन निकायों के विकास के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	गुवाहाटी, असम	5-6 अगस्त 2019

दिनांक 05 फरवरी, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

vk;kr e: of)

644- Jh fnyhi 'k b d h ; k %

Jh je'k pUn: dkf'kd %

D ; k okf.kT ; vkj m | kx e=h ; g crku dh d'ik djix fd %

- (क) क्या डंपिंग रोधी नीति के कारण एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम) क्षेत्र के उत्पादों के आयात में कोई वृद्धि हुई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : व्यापार प्रतिकार महानिदेशालय (डीजीटीआर) देश में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले पाटन के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के साथ घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए विधिवत रूप से प्रमाणित आवेदन के आधार पर उत्पाद के आयात की पाटनरोधी जांच करता है।

पाटनरोधी जांच सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के तहत समय-समय पर संशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, इन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण), नियम, 1995 के अनुसार की जाती है। डीजीटीआर दर्ज किए गए प्रस्तुतिकरण और साक्ष्य का विश्लेषण करता है तथा उपयुक्त पाटनरोधी उपाय अधिरोपित करने के संबंध में अपनी सिफारिश के साथ अंतिम निष्कर्ष जारी करता है। पाटनरोधी उपाय का मुख्य आशय घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने तथा घरेलू उद्योग के लिए एक समान स्थान बनाना है। डीजीटीआर की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए, राजस्व विभाग अनंतिम अथवा निर्णायक पाटनरोधी शुल्क लगाता है। चूंकि यह पाटनरोधी शुल्क, उत्पाद पर लगाए गए अन्य शुल्कों के अतिरिक्त होता है, इसलिए इसका अधिरोपण संबंधित उत्पाद को महंगा करके इसके आयात को हतोत्साहित करता है।

घरेलू उद्योग विशेषतः एमएसएमई की सहायता करने, व्यापार उपचार उपाय के आवेदन दायर करने के लिए डीजीटीआर ने दिनांक 23.09.2019 से एक हेल्प डेस्क एवं सुविधा केंद्र की स्थापना की है। हेल्प डेस्क संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग की सहायता से एमएसएमई इकाइयों को व्यापार उपचारात्मक आवेदन दायर करने की प्रक्रिया में सामने आए "डेटा गैप्स" को हटाने का मार्गदर्शन भी करता है जिससे कि व्यापार उपचारों तक उनकी पहुंच में वृद्धि हो सके।

डीजीटीआर निर्यातक देशों में निर्यातकों द्वारा अपनाई जा रही अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं का प्रतिरोध करने के लिए उद्योग में उपलब्ध व्यापार उपचार उपायों के संबंध में घरेलू विनिर्माताओं को सुग्राही बनाने हेतु आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहा है।

दिनांक 05 फरवरी, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

बुंदेलखंड में विशेष आर्थिक क्षेत्र

596. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत बुंदेलखंड में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के निर्माण की योजना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या बुंदेलखंड में एसईजेड की स्थापना में कुछ बाधाएं हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा देश में एसईजेड क्षेत्रों के विकास हेतु अधिग्रहित भूमि से विस्थापित हुए किसानों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन हेतु नई पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी नहीं, वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम, 2006 के तहत स्थापित किए जा रहे एसईजेड मुख्यतः निजी निवेश संचालित हैं।

(घ) : भूमि राज्य का विषय है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि सं. 18 और-भू अधिग्रहण, पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अधिग्रहित भूमि हेतु भूमि स्वामियों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राज्य का मामला है।

दिनांक 05 फरवरी, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

चीन में निर्मित अनावश्यक वस्तुओं का आयात

589. श्री श्रीनिवास दादासहिब पाटील:

श्री गौतम सिगामणि पोः

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

श्री कुलदीप राय शर्मा:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में चीन से निर्मित अनावश्यक वस्तुओं के आयात पर कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी अनावश्यक वस्तुओं की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चीन से ऐसी वस्तुओं के आयात में वृद्धि के कारण घरेलू विनिर्माताओं को हुई हानि का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का जहरीले संदूषण के कारण चीन से सस्ती प्लास्टिक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो प्रतिबंध/निषेध की अवधि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार इस संबंध में आयात नीति की समीक्षा करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) चीन पर भारत की निर्भरता को कम करने और चीन से घटिया गुणवत्ता वाली वस्तुओं के आयात को रोकने में मदद करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : भारत ने मनुष्य, पशु और पौध जीवन के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक, पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य मुद्दों के अलावा कोई क्षेत्र विशिष्ट आयात प्रतिबंध अधिरोपित नहीं किए हैं।

चीन से आयात के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि चीन से आयात 2017-18 में 76380.7 मिलियन अम.डा. से घटकर 2018-19 में 70319.64 मिलियन अम. डा. और 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) में इससे भी ज्यादा घटकर 51912.03 मिलियन अम. डा. हो गया है।

(घ) से (छ) : भारत में अपने वातावरण एवं मानवों, पौधों और पशुओं के जीवन एवं स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए एक व्यापक और मजबूत वैधानिक ढांचा और सांस्थानिक सेटअप है। चूंकि आयातित वस्तुएं घरेलू कानूनों, नियमों, आदेशों, विनियमों, तकनीकी विनिर्दिष्टताओं, पर्यावरणीय एवं सुरक्षा मानदंडों के अधीन हैं, इसलिए भारतीय उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों के संरक्षण के लिए विदेश व्यापार नीति के तहत पर्याप्त प्रावधान हैं। घरेलू उद्योग को हानि पहुँचाने वाले सस्ते आयातों से सुरक्षा के लिए घरेलू सुरक्षा उपाय जैसे पाटनरोधी शुल्क, प्रतिकारी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क उपलब्ध हैं। जब भी घरेलू उद्योग सस्ते आयात से प्रभावित होता है, तो यह उपरोक्त प्रावधानों के तहत सरकार से सहायता प्राप्त कर सकता है। व्यापार प्रतिकार महानिदेशालय (डीजीटीआर) देश में वस्तुओं की डम्पिंग से घरेलू उद्योग को हानि पहुँचाने का आरोप लगाते हुए घरेलू उद्योग द्वारा दर्ज विधिवत प्रमाणित याचिका के आधार पर पाटनरोधी जांच करता है। इसी प्रकार, डीजीटीआर अपने उत्पादों को सब्सिडी देने वाले देशों के खिलाफ एंटी-सब्सिडी जांच करता है। इसके अलावा, घरेलू वस्तुओं के लिए प्रयोज्य बीआईएस मानक आयातित वस्तुओं पर भी लागू होते हैं।

2008 में उच्च मेलेमाईन दूषण से संबंधित चिंताओं के कारण सरकार ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की संस्तुति पर चाकलेट एवं चाकलेट उत्पादों सहित दुग्ध उत्पादों, चीन के दूध से बनी कैंडी/कन्फैक्शनरी/खाद्य निर्मितियों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया। दिनांक 23.04.2019 की विदेश व्यापार महानिदेशालय(डीजीएफटी) की अधिसूचना के जरिए इस प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है।

दिनांक 05 फरवरी, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

df'k fu;kr uhfr dh fo'k'krk,।

568- Jh lit ; l'nf'kojko ekMfyd%

Jh l/khj xlrk%

Jh fcn;ir cju egrk%

Jh xtkuu dhfridj%

Jh Jhjx vklik ckj.k%

D;k okf.kT; vkj m|kx e=h ;g crku dh d'ik djix fd%

- (क) क्या सरकार द्वारा हाल में कृषि निर्यात नीति (एईपी) की घोषणा की गई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त नीति के लक्ष्य, उद्देश्य एवं प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;
- (ग) क्या कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ने उक्त नीति के प्रभावी क्रियान्वयन तथा राज्य कार्यनीति तैयार करने के लिए राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों के साथ कोई बैठक की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या मंत्रालय ने निर्यात में वृद्धि करने तथा व्यापार के अवरोधों के समाधान के लिए कार्यनीति तैयार करने के लिए जानकारी प्राप्त करने हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा अन्य अभिकरणों के साथ कोई चर्चा की है;
- (ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और
- (च) क्या मंत्रालय ने एईपी में सक्रिय भूमिका के लिए सहकारिताओं को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हां। सरकार ने निम्नलिखित विजन के साथ व्यापक कृषि निर्यात नीति आरंभ की है।

“भारत को कृषि में वैश्विक शक्ति बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतिगत उपायों द्वारा भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता बढ़ाना।”

अन्य बातों के साथ साथ, कृषि निर्यात नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

- (i) हमारी निर्यात बास्केट एवं गंतव्यों में विविधता लाकर और शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं पर विशेष बल देते हुए उच्च मूल्य एवं मूल्य वर्धित कृषि निर्यातों को बढ़ावा देना।
- (ii) अप्रतिम, स्वदेशी, जैविक, संजातीय, परम्परागत एवं गैर-परंपरागत कृषि उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करना।
- (iii) बाजार पहुंच प्राप्त करने, अवरोधों से निपटने और स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता मुद्दों को देखने के लिए संस्थानिक तंत्र उपलब्ध कराना।
- (iv) वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ समेकन करके विश्व कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को दोगुना करने का प्रयास करना।
- (v) किसानों को विदेशी बाजारों में निर्यात के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाना।

कृषि निर्यात नीति में परिकल्पित प्रस्तावों को दो श्रेणियों में रखा गया है - नीतिगत एवं प्रचालनात्मक जिसका ब्यौरा अधोलिखित है :-

नीतिगत	नीतिगत उपाय
	अवसंरचना एवं संभार तंत्र सहायता
	निर्यात को बढ़ाने के लिए समग्र दृष्टिकोण
	कृषि निर्यात में राज्य सरकारों की वृहद्- भागीदारी

प्रचालनात्मक	क्लस्टर्स पर ध्यान केन्द्रित करना
	मूल्य वर्धित निर्यातों को प्रोत्साहन देना
	"ब्रांड इंडिया का विपणन और संवर्धन"
	उत्पादन और प्रसंस्करण में निजी निवेश को आकृष्ट करना
	सशक्त गुणवत्ता नियमों की स्थापना करना
	अनुसंधान एवं विकास
	विविध

(ग) : कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की हैं और उन्हें पुनरीक्षण तथा अंतिम रूप देने के लिए संबंधित राज्यों के साथ साझा किया है। मसौदा कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के लिए एपीडा ने राज्यों के साथ बैठकों की श्रृंखला आयोजित की जिसके बाद अनेक अनुवर्ती कार्य तथा पत्राचार किया था। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, तमिलनाडु, असम, पंजाब और कर्नाटक ने राज्य विशिष्ट कार्ययोजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है। 25 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसियों को नियुक्त किया है। 16 राज्यों ने राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समितियां गठित की हैं।

(घ) एवं (ड.) : वाणिज्य विभाग कृषि निर्यात को बढ़ाने हेतु कार्यनीति बनाने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों के लगातार संपर्क में है। इस संबंध में अनेक बैठकें आयोजित की गई हैं। निर्यात को बढ़ाने के लिए शीर्ष 10 उत्पादों, 10 देशों और निर्यात संभावित 20 उत्पादों 20 संभावित देशों को अभिज्ञात कर लिया गया है। कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए सफल प्रयास हेतु इन सूचियों को सभी हितधारकों के साथ साझा किया गया है। इस संबंध में की गई प्रगति को मॉनीटर करने के लिए अध्यक्ष, एपीडा की अध्यक्षता में संबंधित लाइन मंत्रालयों के सदस्यों का मिलकर एक उप-समूह का गठन किया गया है।

(च) : एपीडा और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है :

- (i) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा अनुसूचित उत्पादों के फसल कटाई पश्चात प्रबंधन हेतु बनाए गए अवसंरचना को बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों को तकनीकी जानकारी प्रदान करने हेतु संयुक्त रूप से कार्यक्रम तैयार करना।
- (ii) एपीडा को विभिन्न राज्यों में एनसीडीसी के साथ सभी समूहों की सूची साझा करना जो स्तर को प्राप्त करने तथा निर्यात अभिविन्यास के साथ एकत्रीकरण करने हेतु समूहों को संपर्क कर सके। एपीडा एनसीडीसी द्वारा सहायता प्राप्त अथवा अभिज्ञात की गई सहकारी समितियों के माध्यम से निर्यात का सुविधाजनक बनाएगा।
- (iii) एपीडा एनसीडीसी द्वारा सहायता प्राप्त अथवा अभिज्ञात की गई सहकारी समितियों के माध्यम से जैविक उत्पाद/क्षेत्रों के प्रमाणीकरण को सुविधाजनक बनाएगा।
- (iv) विभिन्न पणधारकों के क्षमता विकास के लिए संयुक्त रूप से कार्य करना।
- (v) पणधारकों के लिए आउटरीच कार्यक्रमों, जागरूकता कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करना।
- (vi) भारतीय तथा वैश्विक बाजार में अनेक मोडों के माध्यम से सहकारी क्षेत्र के हितधारकों द्वारा उत्पादों, प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं, ज्ञान और सेवाओं का प्रदर्शन करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करना।
- (vii) किसानों की आय को दुगुनी करने, जैसाकि सरकार द्वारा निर्धारित है, के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एपीडा और एनसीडीसी को संयुक्त रूप से कार्य करना।

दिनांक 05 फरवरी, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए
jcj cklMl }kjk ctVh; 0; ;

560- ,MokdIV Mhu dfj ;kdkl%
D;k okf.kT; vkj m|kx e=h ;g crku dh dik djix fd%

- (क) क्या रबर बोर्ड को किए जाने वाले बजटीय आवंटन का अधिकांश हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों संबंधी स्थापना व्यय के रूप में खर्च किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप रबर किसानों के कल्याण और शिक्षा के लिए कुल आवंटन का केवल एक छोटा से हिस्सा बचता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने हितधारकों संबंधी पर्याप्त व्यय सुनिश्चित करने के लिए रबर बोर्ड के स्थापना व्यय को इष्टतम बनाने और/अथवा बोर्ड को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : रबड़ बोर्ड हेतु वर्ष 2019-20 के लिए बजटीय आवंटन 170 करोड़ रुपए है जिसमें से 105 करोड़ रुपए वेतन और भत्ते के लिए खर्च किया जा रहा है। वेतन एवं भत्ते के लिए व्यय के अलावा किसानों की शिक्षा, कौशल विकास तथा विस्तार/परामर्शी सेवाओं के लिए भी पर्याप्त व्यय किया जा रहा है।

इसके अलावा, रबड़ बोर्ड केन्द्रीय और राज्य मंत्रालयों/एजेंसियों की स्कीमों जैसे प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), अतिरिक्त कौशल अर्जन योजना (एएसएपी) आदि के साथ अभिसरण के माध्यम से उपजकर्ताओं को सहायता देने हेतु विकासात्मक गतिविधियाँ भी कर रहा है।

(ग) और (घ) रबड़ बोर्ड द्वारा अपने स्थापना संबंधी व्यय को इष्टतम बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ - साथ कार्यालयों तथा स्थापना का पुनर्गठन/पुनर्संरचना, कर्मचारियों की अनुमोदित संख्या में कमी, वेतन तथा भत्तों के भुगतान का केन्द्रीयकरण और विभिन्न विभागों का मुख्यालय में विलयन शामिल है। रबड़ बोर्ड को अधिक बजटीय आवंटन करने तथा रबड़ बोर्ड के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) में वृद्धि करने के भी प्रयास किए गए हैं।

नवंबर, 2019 में रबड़ बोर्ड के लिए पुनर्संरचना योजना को भी अंतिम रूप दिया गया है।

दिनांक 5 फरवरी, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

ई-बीआरसी जारी करना

557. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बैंकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-बैंक भुगतान प्रमाण-पत्र (ई-बीआरसी) जारी करने में अत्यधिक विलंब हो रहा है;
- (ख) क्या ई-बीआरसी जारी करने में तेजी लाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

- (क) बैंकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक वसूली प्रमाण-पत्र (ई-बीआरसी) अपलोड करने में विलंब के कुछ मामले समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय के ध्यान में लाए गए हैं।
- (ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से सभी बैंकों को निम्नलिखित आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने के लिए कहा गया है:
- i. पोतलदान बिलों के लिए विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होते ही इलेक्ट्रॉनिक बैंक वसूली प्रमाण-पत्रों को जारी करना।
 - ii. इलेक्ट्रॉनिक बैंक वसूली प्रमाण-पत्रों को डीजीएफटी सर्वर और आरबीआई के निर्यात आंकड़ा संसाधन तथा निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) पर एक साथ अपलोड करना।

दिनांक 5 फरवरी, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन

547. श्री चंद्र शेखर साहू:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि निर्यात नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक केन्द्रित योजना बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त निर्यात को दोगुना करने के उद्देश्य से एईपी के लिए कार्य-योजना को अंतिम रूप देने के लिए राज्यों से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है और अन्य राज्यों में इस कार्य-योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) एईपी को तैयार करने और लागू करने में शीघ्रता लाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) एवं (ख) : सरकार ने एक व्यापक कृषि निर्यात नीति शुरू की है जिसका लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ कृषि निर्यातों के संवर्धन में राज्य सरकारों की वृहत्तर भागीदारी करना है। निम्नलिखित में राज्यों की भागीदारी परिकल्पित की गई है:

- i. राज्य निर्यात नीति में कृषि निर्यात नीति का समावेशन
- ii. कृषि उत्पादों के संवर्धन के लिए राज्य नोडल एजेंसी की पहचान
- iii. निर्यातों की सहायता हेतु समितियों का गठन करके राज्य एवं क्लस्टर लेवल पर संस्थागत तंत्र बनाना

iv. कृषि निर्यातों को सुगम बनाने के लिए अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स

(ग) एवं (घ) : जी हाँ। वाणिज्य विभाग ने सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों से कृषि निर्यातों को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ एईपी के लिए अपनी कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने का आग्रह किया है। आठ राज्यों ने राज्य विशिष्ट कार्य योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है। 25 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों ने कृषि निर्यातों के संवर्धन के लिए नोडल एजेंसियां निर्दिष्ट की हैं। 16 राज्यों ने राज्य स्तरीय निगरानी समितियों का गठन किया है।

(ङ.) एईपी के कार्यान्वयन को मॉनिटर करने के लिए, एक अंतर - मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने एईपी के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्यों और हितधारकों के साथ कई बैठकें आयोजित की हैं, राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया, प्रक्षेत्र दौरे किए, क्लस्टरों/राज्यों में वर्तमान अवसंरचना अंतरालों की पहचान की, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन किया, अपनी वेबसाइट पर फार्मर कनेक्ट पोर्टल लांच किया, बाजार आसूचना सेल खोला आदि।

दिनांक 5 फरवरी, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

रेडग्राम बोर्ड की स्थापना

537. डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेडग्राम किसानों सहित विभिन्न वर्गों ने तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में तांडूर में रेडग्राम बोर्ड की स्थापना हेतु मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा तांडूर में रेडग्राम बोर्ड की स्थापना हेतु किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क): जी नहीं, रेडग्राम किसानों सहित किसी भी वर्ग से तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले के तांडूर में रेडग्राम बोर्ड की स्थापना के लिए वाणिज्य विभाग में कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक 5 फरवरी, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

खनिजों का निर्यात/आयात

530. श्री रामचरण बोहरा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) खनिजों, लौह-अयस्कों और उनके उत्पादों के देश से निर्यात/आयात का ब्यौरा क्या है और देश-वार उसका मूल्य कितना है;
- (ख) देश में कुल उत्पादन की तुलना में खनिजों के निर्यात का प्रतिशत कितना है;
- (ग) क्या कुछ खनिजों विशेषकर लौह-अयस्कों के अवैध निर्यात की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;
- (घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान रिपोर्ट किए गए ऐसे मामलों की संख्या और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;
- (ङ) क्या सरकार का खनिजों और धातुओं के घरेलू उद्योगों विशेष रूप से लौह अयस्कों की सुरक्षा के लिए वर्तमान निर्यात-आयात नीति की समीक्षा करने का विचार है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

- (क) लौह अयस्क, खनिज और उनके उत्पादों का पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान किए गए निर्यात / आयात के आँकड़े, जिनमें देशवार आँकड़े शामिल हैं, का ब्यौरा **अनुबंध - I** में दिया गया है।
- (ख) खनिज-लौह अयस्क के निर्यात और उसके उत्पादन का विवरण **अनुबंध- II** पर है।
- (ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के खनिजों के अवैध निर्यात के मामले निम्नलिखित हैं : -

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19
मामलों की संख्या	9	7	7

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अनुसार, कारण बताओ नोटिस जारी करने सहित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

(ङ.) और (च) वर्तमान में खनिजों / धातुओं के संबंध में वर्तमान निर्यात-आयात नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुबंध- I

लौह अयस्क, खनिज और उनके उत्पादों का निर्यात डेटा

मद विवरण	निर्यात का मूल्य (मिलियन अमे.डॉलर में)			
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अन) (दिसंबर, 2019 तक)
अल्युमीनियम, अल्युमीनियम के उत्पाद	3244.69	4800.89	5730.91	3895.63
बल्क खनिज और अयस्क	419.21	402.17	618.05	532.99
तांबा एवं तौबे से बने उत्पाद	2672.94	3481.36	1067.26	707.50
लोहा और इस्पात	8683.01	11244.74	9742.01	7246.32
लौह अयस्क	1533.53	1471.06	1317.29	1952.30
शीशा और शीशे से बने उत्पाद	236.89	396.65	402.91	295.73
अभ्रक	55.83	81.40	71.30	41.00
निकेल, निकेल के उत्पाद	92.65	44.78	68.58	78.00
अन्य अलौह धातुएँ एवं उत्पाद	446.17	505.18	546.78	411.67
अन्य अपरिष्कृत खनिज	131.84	146.13	174.67	112.21
प्रसंस्कृत खनिज	898.51	970.32	1181.86	692.68
लोहा और इस्पात के उत्पाद	5895.44	6770.20	7259.37	5285.05
सल्फर, अनरोस्टेड ऑयरन पाइराइट	52.13	66.37	63.05	45.66
टिन और टिन के बने उत्पाद	8.84	11.10	9.82	7.39
जिंक एवं जिंक से बने उत्पाद	609.71	956.18	603.09	406.11

लौह अयस्क, खनिज और उनके उत्पादों का आयात डेटा

मद विवरण	आयात का मूल्य (मिलियन अमे डॉलर में)			
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अन) (दिसंबर, 2019 तक)
अल्युमीनियम, अल्युमीनियम के उत्पाद	3557.04	4605.34	5538.97	3464.74
बल्क खनिज और अयस्क	4286.96	6207.37	3878.27	2293.29
तांबा एवं तौबे से बने उत्पाद	3449.40	4575.11	5346.73	3959.60
लोहा और इस्पात	8238.88	10432.22	12582.29	8755.82
लौह अयस्क	322.25	655.19	844.12	114.30
शीशा और शीशे से बने उत्पाद	597.09	814.51	785.76	515.26
अभ्रक	1.28	1.68	1.90	1.60
निकेल, निकेल के उत्पाद	554.94	637.51	742.17	563.30
अन्य अलौह धातुएँ एवं उत्पाद	835.39	1109.04	1285.84	915.26
अन्य अपरिष्कृत खनिज अवयव	272.84	325.57	377.63	287.91
प्रसंस्कृत खनिज	862.37	1486.80	2131.40	1101.71
लोहा और इस्पात के उत्पाद	3444.17	4185.37	5074.43	3615.19
सल्फर, अनरोस्टेड ऑयरन पाइराइट	131.19	165.88	217.13	99.54
टिन और टिन के बने उत्पाद	173.32	242.87	223.44	164.03
जिंक एवं जिंक से बने उत्पाद	701.65	827.28	810.07	500.21

(अन): अनंतिम स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

लौह अयस्क का देश-वार निर्यात

(मूल्य करोड रु. में)

देश	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अन) (अप्रैल-दिसंबर)
चीन	9729.40	7039.08	6703.71	10761.46
जापान	153.89	1223.57	605.31	961.14
कोरिया आरपी	28.57	580.92	743.81	637.31
ओमान	215.16	227.77	174.58	392.78
तुर्की	-	-	46.88	333.35
मलेशिया	-	61.60	157.32	167.82
अन्य देश	163.81	354.66	828.14	478.64
कुल योग	10290.82	9487.60	9259.75	13732.49

(अन): अनंतिम स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

लौह अयस्क का देशवार आयात

(मूल्य करोड रुपये में)

देश	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अन) (अप्रैल-दिसंबर)
दक्षिण अफ्रीका	1106.66	1541.13	1760.21	320.15
ब्राज़ील	796.08	1224.67	1046.73	229.05
ऑस्ट्रेलिया	3.34	727.91	2145.12	87.45
कनाडा	0.01	0.01	107.99	74.78
ईरान	50.84	24.14	0.06	43.81
अन्य देश	200.65	706.09	847.70	43.87
कुल योग	2157.58	4223.93	5907.82	799.11

(अन): अनंतिम; स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

अनुबंध- II

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में लौह अयस्क का कुल उत्पादन और कुल उत्पादन से लौह अयस्क के निर्यात की प्रतिशतता ;

लौह अयस्क का उत्पादन

(मात्रा हजार टन में)

खनिज: लौह अयस्क	2016-17	2017-18	2018-19 (अन)
	मात्रा	मात्रा	मात्रा
उत्पादन	194,584	201,426	2016446
खान मालिकों द्वारा एमसीडीआर रिटर्न में रिपोर्ट किया गया निर्यात	12,247	8340	3640
भारत में कुल उत्पादन से निर्यात का%	6.3	4.1	1.8

(अन): अनंतिम; स्रोत: एमसीडीआर रिटर्न

दिनांक 5 फरवरी, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत की निर्यात वृद्धि

518. श्री दिव्येन्दु अधिकारी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लगभग सभी क्षेत्रों में सरकार वर्ष 2003-11 और 2012-17 की अवधि के कारोबार प्रदर्शन की अवधि की तुलना में निर्यात वृद्धि और विदेशी मुद्रा में तालमेल बिठाने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2012-17 में माल के निर्यात में सबसे तेजी से गिरावट आई है और वर्ष 2003-11 की तुलना में वर्ष 2012-17 में सभी व्यापार औसत में 34 प्रतिशत की कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो जीडीपी विकास, वास्तविक विनिमय दर, कृषि, विनिर्माण, माल निर्यात, सेवाओं और वित्तीय क्षेत्रों के संदर्भ में निर्यात प्रदर्शन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की पुनर्गठन और सुधार योजना का ब्यौरा क्या है ताकि वैश्विक व्यापार के स्तर पर प्रतिस्पर्धा की जा सके ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): 8 वर्षों के ब्लॉक अर्थात् 2011-12 से 2018-19 के दौरान पिछले 8 वर्षों के ब्लॉक, अर्थात्, 2003-04 से 2010-11 की तुलना में वृद्धि के साथ भारत की व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात और व्यापारिक वस्तुओं का कुल व्यापार (निर्यात और आयात का जोड़) निम्नलिखित तालिका में दिया गया है, जो दर्शाता है कि भारत की व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में 8 वर्षों के ब्लॉक अर्थात्, 2011-12 से 2018-19 के दौरान पिछले 8 वर्षों के ब्लॉक अर्थात् 2003-04 से 2010-11 की तुलना में 108.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि भारत की व्यापारिक वस्तुओं के कुल व्यापार (निर्यात और आयात दोनों) में इसी अवधि के दौरान 108.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(मूल्य बिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात			व्यापारिक वस्तुओं का कुल व्यापार (निर्यात और आयात का जोड़)		
	निर्यात	कुल 2003-11 और 2012-19	2003-11 की तुलना में 2012-19 में वृद्धि	कुल व्यापार	कुल 2003-11 और 2012-19	2003-11 की तुलना में 2012-19 में वृद्धि
2003-04	63.98	1154.18	108.19%	141.99	2891.94	108.38%
2004-05	83.75			195.05		
2005-06	103.04			252.26		
2006-07	126.41			312.15		
2007-08	163.13			414.79		
2008-09	185.3			488.99		
2009-10	178.75			467.12		

2010-11	249.82			619.59	
2011-12	305.96			795.28	
2012-13	300.4			791.14	
2013-14	314.42			764.61	
2014-15	310.35			758.37	
2015-16	262.29			643.30	
2016-17	275.85			660.21	
2017-18	303.53			769.11	
2018-19	330.08			844.10	
2402.88				6026.12	

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

(घ) डब्ल्यूटीओ के अनुसार व्यापारिक वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का रैंक पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2015 में 21 से सुधर कर वर्ष 2018 में 19 हो गया है। भारत के निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक व्यापार के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, सरकार ने गत पांच वर्षों में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

- नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–20 का प्रारंभ 1 अप्रैल, 2015 को किया गया था। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ पूर्व की निर्यात संवर्धन स्कीमों को तर्कसंगत बनाया गया और दो नई स्कीमें अर्थात् माल के निर्यात में सुधार लाने के लिए भारत के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए 'भारत से सेवा निर्यात की स्कीम (एसईआईएस)' आरंभ की गई। इन स्कीमों के अंतर्गत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स को पूर्ण रूप से हस्तांतरणीय बनाया गया।
- विदेश व्यापार नीति 2015–20 की 5 दिसम्बर, 2017 को की गई मध्यावधि समीक्षा के आधार पर श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन राशि में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई।
- लाजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए वाणिज्य विभाग में एक नए लाजिस्टिक्स प्रभाग का सृजन किया गया। विश्व बैंक के लाजिस्टिक्स कार्यनिष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान वर्ष 2014 में 54 वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2018 में 44वें स्थान पर पहुंच गया।
- पूर्व एवं पश्च पोतलदान रुपये निर्यात ऋण पर ब्याज समकरण स्कीम को दिनांक 1.4.2015 से प्रारंभ किया गया जिससे श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज समकरण प्रदान किया जा रहा है। दिनांक 2.11.2018 से एमएसएमई क्षेत्रों के लिए दर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया और दिनांक 2.1.2019 से स्कीम के अंतर्गत मर्चेंट निर्यातकों को शामिल किया गया।
- व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाने के लिए आयातक निर्यातक कोडों (आईसीसी) को ऑनलाइन जारी करना प्रारंभ किया गया है। विश्व बैंक में "व्यापार करने की सुगमता" में भारत का रैंक वर्ष 2014 में 142 से बेहतर होकर वर्ष 2019 में 63 हो गया तथा "सीमा पार व्यापार" में रैंक 122 से सुधरकर 80 हो गया।
- देश में निर्यात अवसंरचना अंतर को पाटने के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से एक नई स्कीम नामतः "निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईआईएस)" को प्रारंभ किया गया।
- दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 को एक व्यापक "कृषि निर्यात नीति" प्रारंभ की गई जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना तथा कृषि निर्यात को बल प्रदान करना है।
- विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु परिवहन की उच्च लागत के नुकसान को कम करने के लिए एक नई स्कीम नामतः "परिवहन एवं विपणन सहायता" (टीएमए) स्कीम प्रारंभ की गई है।

इसके अलावा, इस दिशा में सरकार की पुनर्गठन एवं सुधार योजना में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) 2020-21 के बजट में निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) की एक नई स्कीम का प्रस्ताव किया गया है जिसमें डब्ल्यूटीओ अनुपालक एक दीर्घकालिक ढांचा उपलब्ध होगा जिसके तहत उद्योग शुल्कों और करों की प्रतिपूर्ति का दावा करने में समर्थ होगा। नई आरओडीटीईपी स्कीम में वर्तमान में रिफंड न की जाने वाली निम्नलिखित राशि का रिफंड दिया जाएगा :

- (i) निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर पूर्व चरण के संचयी अप्रत्यक्ष करों सहित निर्यातित उत्पाद पर वहन किए गए केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर शुल्क/कर/लेवी।
- (ii) निर्यातित उत्पाद के वितरण से संबंधित ऐसे अप्रत्यक्ष शुल्क/कर/लेवी।

(ख) मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद दिनांक 07.03.2019 को परिधान और निर्मितियों हेतु एक नई राज्य और केन्द्रीय कर एवं लेवी की छूट (आरओएससीटीएल) संबंधी स्कीम को वस्त्र मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है जिसके अंतर्गत पूर्व की राज्य लेवी से छूट संबंधी स्कीम (आरओएसएल) में यथा मौजूद छूट की दरों को संशोधित किया गया तथा संशोधित दरों को दिनांक 08.03.2019 को अधिसूचित भी किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली छूटों को वाणिज्य विभाग/डीजीएफटी से एमईआईएस किस्म की स्क्रिपों के रूप में जारी किया जाएगा।

(ग) एक नई स्कीम, निरविक योजना (निर्यात ऋण विकास योजना) तैयार की गई है जो सरकार के प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत ईसीजीसी के वर्तमान ईसीआईबी कवर का अनुपूरक है ताकि सभी निर्यातकों के लिए निर्यात ऋण के प्रवाह को उत्प्रेरित किया जा सके।

दिनांक 5 फरवरी, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

एसईजेड डेवलपर्स को छूट

516. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:

श्री अरविंद धर्मापुरी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) परियोजनाओं के विकास के लिए डेवलपर्स को समय बढ़ाने और छूट देने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे एसईजेड की संख्या कितनी है जिनमें उनके विकास के लिए छूट दी जाने की संभावना है;

(घ) क्या तेलंगाना राज्य में किसी एसईजेड का विकास किया जा रहा है या उसका विस्तार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या कर में कोई छूट और प्रोत्साहन दिए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)**

(क) से (ग) : विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 6 (2) (क) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, एसईजेड विकासकर्ता को दिया गया अनुमोदन पत्र तीन साल की अवधि के लिए वैध होता है जिसके दौरान विकासकर्ता द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने होते हैं। वाणिज्य विभाग के तहत अनुमोदन बोर्ड (बीओए), विकासकर्ता द्वारा आवेदन पत्र देने और क्षेत्राधिकार वाले विकास आयुक्त की सिफारिश पर, अनुमोदन पत्र की वैधता अवधि बढ़ा सकता है। बीओए ने अब तक तेलंगाना में 16 डेवलपर्स सहित देश भर में 154 एसईजेड विकासकर्ताओं को उनकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वैधता अवधि को बढ़ाया है। डेवलपर्स ने अपनी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए दिए गए अनुमोदन पत्र की वैधता अवधि को बढ़ाए जाने की मांग अनेक कारणों से की है, जिसमें वैश्विक मंदी के कारण प्रतिकूल व्यावसायिक वातावरण, सांविधिक निकायों से मंजूरी में विलंब, पर्यावरणीय मंजूरी में विलंब आदि शामिल हैं।

(घ): तेलंगाना राज्य में जिन सेज को विस्तार प्राप्त है, उनका विवरण **अनुबंध** में है।

(ङ.): एसईजेड को अनुमत कर छूट और अन्य प्रोत्साहन एसईजेड अधिनियम, 2005 में अंतर्निहित हैं। एसईजेड विकासकर्ताओं और इकाइयों को अनुमत मुख्य वित्तीय रियायतें और शुल्क लाभ इस प्रकार हैं:

- (i) केंद्रीय बिक्री कर से छूट, सेवा कर से छूट और राज्य बिक्री कर से छूट। ये अब जीएसटी में शामिल हो गए हैं और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत एसईजेड को आपूर्ति शून्य रेटेड हैं।
- (ii) आयकर अधिनियम के अनुसार 15 वर्षों के लिए आयकर से छूट।
- (iii) माल का शुल्क मुक्त आयात / घरेलू खरीद।
- (iv) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विस्तारित राज्य बिक्री कर और अन्य लेवी से छूट।

अनुबंध

क्र. सं.	डेवलपर का नाम	स्थान	एसईजेड के प्रकार
1.	मैसर्स जेटी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	महेश्वरम मंडल, जिला रंगा रेड्डी, तेलंगाना	आईटी / आईटीईएस
2.	मैसर्स अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	रविराला गाँव, महेश्वरम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना।	आईटी / आईटीईएस
3.	मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के साथ मल्टी सर्विसेज
4.	मैसर्स तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लि।	मदिकोंडा ग्राम, हनमकोंडा मंडल, वारंगल जिला, तेलंगाना	आईटी / आईटीईएस
5.	मैसर्स स्टारगेज प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	कांचीमरत, रविराला गाँव, महेश्वरम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी / आईटीईएस
6.	मैसर्स पार्श्वनाथ इंफ्रा लिमिटेड	करकापटला ग्राम, मुलुगु मंडल, मेडक जिला, तेलंगाना	जैव प्रौद्योगिकी
7.	मैसर्स कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	आदिबटला गाँव, इब्राहिमपटनम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी / आईटीईएस
8.	मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड	आदिबटला गाँव, इब्राहिमपटनम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी / आईटीईएस
9.	मैसर्स तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लि।	करकापातला गाँव, मुलुगु मंडल, मेडक जिला, तेलंगाना	जैव प्रौद्योगिकी
10.	मैसर्स हैदराबाद मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी	कोकपेट गाँव, सीरमलिंगमपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी / आईटीईएस
11.	मैसर्स शांता बायोटेक्निक्स लिमिटेड	मुप्पिरपदीपल्ली गाँव, तोपरान मंडल, मेडक जिला, तेलंगाना	जैव प्रौद्योगिकी और संबंधित गतिविधियां
12.	मैसर्स रेडिएंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	मुप्पिरपदीपल्ली गाँव, तोपरान मंडल, मेडक जिला, तेलंगाना	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और संबंधित गतिविधियां
13.	मैसर्स जीएआर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	कोकपेट गाँव, गाँधीपेट मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी / आईटीईएस
14.	मैसर्स दिविजा कमर्शियल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	रायदुर्ग गाँव, सीरेलिंगमपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी / आईटीईएस
15.	मैसर्स वैक्सेनिक प्राइवेट लिमिटेड	कोल्थुर गाँव, शमीरपेट मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना	जैव प्रौद्योगिकी और जैव फार्मास्यूटिकल्स
16.	मैसर्स जीएआर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	कोकपेट गाँव, गाँधीपेट मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी / आईटीईएस

दिनांक 05 फरवरी, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

Qyk dh [krh d of'od 0;kikj e Hkkjr dh fgLinkjh

515- Jh Iuhy nUkk=; rVdj%
Mkñ I Hkk'k jkejko Hkkej% Jh jcrh f=iijk%
Jh Mhñ, uñohñ I fFkydekj , Iñ%
Jh ' ;ke flg ;kno%
D;k okf.kT; vkj m|kx e=h ;g crku dh d'ik djix fd%

- (क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात और आयात किए गए फूलों की मात्रा और मूल्य का विविधता/मूल्य और देश-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या विदेशों में फूलों की मांग के बावजूद फूलों के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी काफी कम है;
- (ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान फूलों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फूलों की भारी मांग है और यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाया गया है;
- (ङ) क्या फूलों के उत्पादकों और निर्यातकों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) देश से फूलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए और आयात किए गए फूलों की मात्रा तथा मूल्य का विवरण, किस्म-वार/मूल्य-वार, क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II पर है। निर्यात और आयात का देश-वार/मूल्य-वार विवरण क्रमशः अनुबंध-III और अनुबंध-IV पर है।

(ख) : जी, हां। वर्ष 2018 के दौरान फूलों की खेती के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 0.4 प्रतिशत थी। (स्रोत : यूएनकॉमट्रेड)

(ग) : पुष्प कृषि उत्पादों के निर्यात मूल्य का विवरण अनुबंध-I पर है।

(घ) से (च) : वर्तमान में, वैश्विक बाजार में पुष्प कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी केवल 0.4 प्रतिशत है, वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संगठन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), ने पुष्प कृषि उत्पादों के संवर्धन एवं वृद्धि के लिए बागवानी उत्पादों जिसमें पुष्पोत्पाद शामिल हैं, का निर्यात बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं अर्थात् अवसंरचना विकास, बाजार पहुंच को प्रारंभ करना, आउटरीच प्रोग्राम, क्रेता-विक्रेता बैठकें, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता शामिल है।

एपीडा 'एपीडा की कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन स्कीम' के विभिन्न घटकों अर्थात् अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास एवं बाजार विकास के तहत पुष्पकृषि सहित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, भारत पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमआईआईएस) के तहत फूलों के निर्यात पर प्रोत्साहन उपलब्ध है। वाणिज्य विभाग की अन्य कई स्कीमों अर्थात् निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईआईएस), बाजार पहुंच पहल (एमआईआई) स्कीम आदि के तहत निर्यातकों/ राज्य सरकारों को निर्यात संवर्धन के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है।

अनुबंध-1

पुष्प कृषि उत्पादों का निर्यात

मात्रा मीट्रिक टन में; मूल्य मिलियन यूएस डॉलर में

एचएस कोड	उत्पाद	2016-17		2017-18		2018-19	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
6049000	अन्य (अनन्यतः ताजा) पत्ते, शाखाएं और पौधे, फूलों की कलियों और घास के बिना, काई और लाइकेन	10799.57	37.58	10709.54	38.22	10268.14	39.73
6029030	ऊतक संवर्धन के पौधे	168.61	8.23	247.02	9.88	319.26	13.4
6039000	गुलदस्ते के लिए/ सजावटी उद्देश्य के लिए योग्य अन्य कटे हुए फूल एवं फूलों की कलियां	6767.79	19.84	4526.58	11.35	3476.47	9.49
6031100	गुलदस्ते के लिए या सजावटी उद्देश्य के लिए ताजे कटे फूल एवं फूलों की कलियां : गुलाब	2029.95	8.58	2517.47	9	2134.34	8.19
6029090	अन्य जीवित पौधे	459.96	2.99	521.95	3.56	1039.96	3.96
6031900	अन्य ताजा कटे फूल और फूलों की कलियां	602.78	2.38	965.04	3.74	1412.31	3.43
6022090	अन्य पेड़, छोटे वृक्ष और झाड़ियाँ	116.79	0.51	137.27	0.65	338.32	1.14
6011000	बल्ब, कंद, कंद मूल, घनकंद, क्राउन और राईजोम, डोरमेंट	71.13	0.53	102.44	0.67	85.13	0.75
6024000	गुलाब, कलमित या अकलमित	29.15	0.21	45.45	0.34	41	0.48
6022010	खाद्य फल या नट के पेड़, कलमित या अकलमित	12.73	0.11	51.1	0.1	41.03	0.41
6012090	अन्य बल्ब, कंद, कंद मूल आदि	18.2	0.15	58.16	0.27	213.35	0.37
6031200	गुलदस्ते के लिए या सजावटी उद्देश्य के लिए ताजे कटे फूलों एवं फूलों की कलियां : कार्नेशन	15.69	0.03	96.3	0.33	89.46	0.24
6042000	ताजा पतियां, शाखाएं, तथा पौधे, फूल और कलियां रहित, और ताजी, सूखी, रंगी हुई घास, काई और लाइकेन	275.87	0.13	208.9	0.12	80.72	0.08
6012021	चिकोरी के पौधे	29.84	0.1	11.74	0.09	26.5	0.07
6031400	गुलदस्ते के लिए या सजावटी उद्देश्य के लिए ताजे कटे फूल एवं फूलों की कलियां : गुलदाउदी	13.21	0.04	31.67	0.1	21.75	0.07
6029020	फूलों के पौधे (गुलाब और रोडोडेंड्रोन को छोड़कर)	0.32	0	6.79	0.04	8.73	0.05
6012010	बल्ब्स बागवानी	2.82	0.02	2.43	0.02	8.09	0.04
6029010	मशरूम स्पॉन	0.59	0	26.3	0.02	95.48	0.04
6021000	जीवित पौधों के अनस्टेड कटिंग एवं कलम	0.28	0.01	1.85	0.02	2.18	0.02
6012022	चिकोरी की जड़ें	597.9	0.27	427.1	0.18	20.68	0.02
6031500	गुलदस्ते के लिए या सजावटी उद्देश्य के लिए ताजे कटे फूलों और फलों की कलियां : लिली (लिलियम एसपीपी)	6.13	0.02	4.19	0.01	2.51	0.01
6023000	रोडोडेंड्रोन और अजलिस, कलमित या अकलमित	0	0	0.64	0	1.15	0
6031300	गुलदस्ते के लिए या सजावटी उद्देश्य के लिए ताजे कटे फूल एवं फूलों की कलियां : ऑर्किड	0.74	0.01	2.54	0.01	0	0
6022020	कैक्टस	0.3	0	1	0	0	0
	कुल	22,020.35	81.74	20,703.47	78.72	19,726.56	81.99

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस/एपीडा

अनुबंध-II

पुष्पकृषि उत्पादों का आयात

मात्रा एमटी में; मूल्य मिलियन यूएस डॉलर में

एचएस कोड	उत्पाद	2016-17		2017-18		2018-19	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
6029090	अन्य जीवित पौधे	1638.51	7.34	1936.56	8.39	184.92	9.36
6031300	गुलदस्ते के लिए या सजावटी उद्देश्य के लिए ताजे कटे फूल एवं फूलों की कलियां : ऑर्किड	1044.36	3.47	832.66	1.85	84.61	3.21
6012010	कंद बागवानी	1285.27	3.99	1327.65	3.84	73.6	3.1
6029030	ऊतक संवर्धन के पौधे	84.72	1.08	213.9	1.89	7.84	3.09
6029020	फूलों के पौधे (गुलाब और रोडोडेंड्रोन को छोड़कर)	194.77	0.73	191	0.97	11.74	1.73
6022090	अन्य पेड़, छोटे वृक्ष और झाड़ियाँ	0	0	1	0.01	25.86	1.15
6011000	बल्ब, कंद, कंद मूल, धनकंद, काउन और राईजाम, डॉरमेट	541.47	1.33	394.26	0.92	35.12	1.12
6031900	अन्य ताजे कटे फूल और फूलों की कलियां	126.33	0.45	525.83	1.42	55.5	0.65
6049000	अन्य (उत्कृष्ट ताजा) पत्ते, शाखाओं और पौधों, फूलों की कलियों और घास के बिना, काई और लाइकेन	448.42	0.88	399.71	0.78	50.16	0.56
6021000	जीवित पौधों के अनरूटेड कटिंग एवं कलम	24.69	0.18	41.23	0.33	2.51	0.55
6012021	चिकोरी के पौधे	17.57	0.02	21.2	0.04	0	0.21
6029010	मशरूम स्पोन	25.82	0.13	29.7	0.14	2.32	0.15
6039000	गुलदस्ते के लिए सजावटी उद्देश्य के योग्य अन्य कटे हुए फूल एवं फूलों की कलियां	105.19	0.37	315.21	0.54	0.97	0.07
6022020	कैक्टस	0	0	0	0	0.6	0.03
6031400	ताजे कट के फूल और फूलों के गुलदस्ते गुलदस्ते या सजावटी उद्देश्य के लिए: गुलदाउदी	11.01	0.05	10.12	0.04	0	0.03
6024000	गुलाब, कलमित या अकलमित	1.96	0.02	0.72	0.01	0.06	0.02
6031100	गुलदस्ते के लिए या सजावटी उद्देश्य के लिए ताजे कटे फूल एवं फूलों की कलियां : गुलाब	0	0	0.09	0	0	0.01
6042000	ताजा पत्तियां, शाखाएं, तथा पौधे, फूल और कलियां रहित, और ताजी सूखी, रंगी हुई घास, काई और लाइकेन	0	0	0	0	0	0
6031200	गुलदस्ते के लिए या सजावटी उद्देश्य के लिए ताजे कटे फूलों एवं फूलों की कलियां : कार्नेशन	0	0	0	0	0	0
6031500	गुलदस्ते के लिए या सजावटी उद्देश्य के लिए ताजे कटे फूलों और फलों की कलियां : लिली (लिलियम एसपीपी)	0	0	0.21	0	0	0
6012090	अन्य बल्ब, कंद, कंदमूल आदि	0	0	0.05	0	0	0
	कुल	5,550.09	20.04	6,241.10	21.17	535.81	25.04

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस/एपीडा

पुष्पकृषि उत्पादों का निर्यात - देश-वार						
मात्रा एमटी में; मूल्य मिलियन यूएस डॉलर में						
	2016-17		2017-18		2018-19	
देश	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
अमेरीका	3762.70	14.80	3489.02	16.29	4038.07	21.09
नीदरलैंड	1809.32	8.61	1855.00	10.19	1518.92	11.23
यूके	2457.84	10.21	2116.98	8.26	1530.01	6.36
जर्मनी	2439.66	9.34	1347.90	5.69	1251.71	5.69
यू अरब अमीरात	1438.84	5.15	1211.45	4.54	1871.24	4.89
कनाडा	748.52	2.68	1133.35	3.30	878.99	3.37
ऑस्ट्रेलिया	250.07	1.95	198.74	2.04	250.53	2.30
जापान	365.05	2.22	284.04	2.11	310.37	2.26
इटली	555.10	2.40	522.49	2.58	403.24	2.25
मलेशिया	520.82	1.79	793.46	2.06	862.00	2.19
सिंगापुर	1347.01	2.47	1956.81	2.40	1998.34	2.12
स्पेन	186.31	0.99	250.41	1.61	304.39	1.62
पोलैंड	328.56	1.35	342.18	1.21	335.18	1.53
बेल्जियम	297.79	0.98	219.52	0.89	400.76	1.15
न्यूजीलैंड	151.93	0.79	265.90	1.33	197.29	1.14
फ्रांस	227.32	0.84	265.77	0.58	186.74	0.84
मालदीव	186.62	0.56	210.32	0.55	364.97	0.82
ऑस्ट्रिया	171.27	0.61	125.71	0.53	154.74	0.77
कुवैट	156.15	0.47	146.36	0.55	258.57	0.74
सऊदी अरब	528.75	1.12	378.94	0.92	258.18	0.60
अन्य देश	4090.71	12.41	3589.12	11.09	2352.33	9.03
कुल	22020.34	81.74	20703.47	78.72	19726.57	81.99

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस/एपीडा

पुष्पकृषि उत्पादों का आयात - देश-वार						
मात्रा एमटी में; मूल्य मिलियन यूएस डॉलर में						
	2016-17		2017-18		2018-19	
देश	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
नीदरलैंड	1947.38	6.56	1988.73	6.71	1600.90	6.83
थाईलैंड	1601.20	6.19	2016.29	5.79	2030.60	6.69
चीन पी आर.पी.	508.71	1.66	1014.22	2.49	856.90	3.78
इटली	257.80	1.88	230.02	1.74	254.10	3.35
यूके	33.57	0.50	22.39	0.55	0.00	0.53
इजराइल	18.88	0.25	24.40	0.37	1.00	0.52
अमेरीका	11.63	0.18	16.36	0.28	4.40	0.48
ईरान	2.09	0.02	130.00	0.64	0.00	0.36
स्पेन	521.64	0.76	104.30	0.25	20.80	0.30
केन्या	45.09	0.34	51.54	0.34	29.80	0.29
न्यूजीलैंड	90.51	0.34	111.01	0.44	34.00	0.29
ताइवान	12.27	0.08	21.72	0.10	8.60	0.28
तुर्की	12.21	0.01	1.60	0.01	0.00	0.15
यू अरब इमेट्स	31.01	0.25	35.90	0.23	0.00	0.13
कोरिया आर.पी.	7.53	0.03	16.05	0.09	6.00	0.12
इंडोनेशिया	53.39	0.21	27.27	0.14	0.10	0.12
दक्षिण अफ्रीका	30.98	0.14	7.78	0.05	0.00	0.11
पोलैंड	5.75	0.07	30.92	0.14	0.00	0.09
हॉंगकॉंग	10.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.07
अर्जेंटीना	0.00	0.00	0.11	0.01	0.00	0.07
अन्य देश	348.48	0.5 4	390.50	0.8 0	510.80	0. 48
कुल	5550.12	20.0 4	6241.11	21.17	5358.00	25.04

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस/एपीडा

दिनांक 05 फरवरी, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

jcm ckM: d: lkfk fofHkUu lg; kx

503- Jh ,Vk ,UVkuh%

D;k okf.kT; vkj m|kx e=h ;g crku dh dik djix fd%

(क) बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की श्रेणी के साथ-साथ रबड़ बोर्ड के वर्तमान कर्मचारियों की संख्या सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रबड़ बोर्ड सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए आवश्यक सामग्री के उत्पादन हेतु सशस्त्र बलों और अंतरिक्ष वाहनों, उपग्रहों, रॉकेटों के अनुसंधान विनिर्माण/उत्पादन की सुविधा के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ सहयोग करता रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उड़डयन उद्योग और देश के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या अन्य देश भारत में उत्पादित प्राकृतिक रबड़ पर निर्भर हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : रबड़ बोर्ड का वर्तमान वास्तविक कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :

रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या	
वर्ग	कर्मचारियों की संख्या
समूह क	196
समूह ख	534
समूह ग	542
कुल	1272

(ख) और (ग) : रबड़ बोर्ड भारतीय सेना, वायुसेना, जलसेना, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और उनकी सहबद्ध अभिकरणों जैसे बीईएमएल लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), मझगांव डॉक आदि जैसे सशस्त्र बलों में परामर्शी सेवाएं दे रहा है। बोर्ड रक्षा क्षेत्र में वेंडरों द्वारा आपूरित रबड़ संघटकों के गुणवत्ता नियंत्रण उपाय भी करता है।

(घ) और (ङ.) : प्राकृतिक रबड़ (एनआर) का उपयोग विभिन्न महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में किया जाता है। ऊष्मा प्रतिरोध की उच्च क्षमता के कारण एयरक्राफ्ट के टायर प्राकृतिक रबड़ के बने होते हैं। बड़े आकार के टायरों को प्राकृतिक रबड़ की अपेक्षाकृत उच्च अनुपात की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एनआर आधारित संघटक अनिवार्य होते हैं। सभी औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्राकृतिक रबड़ को घरेलू या वाह्य स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। विदेशों के विमानन उद्योग और अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों को प्राकृतिक रबड़ की आपूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है।

दिनांक 5 फरवरी, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत का व्यापार घाटा

498. श्री नलीन कुमार कटील:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत का व्यापार घाटा धीरे-धीरे बढ़ रहा है;
- (ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान एशियाई देशों के साथ व्यापार घाटे के प्रतिशत सम्बन्धी कोई आंकड़ा रखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान व्यापार संतुलन सम्बन्धी कोई कदम उठाया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)**

(क) और (ख): गत तीन वर्षों में भारत की व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार घाटा निम्नानुसार है:

वर्ष	व्यापार घाटा (बिलियन अमरीकी डॉलर)	प्रतिशत परिवर्तन
2015-16	-118.72	—
2016-17	-108.50	-8.61
2017-18	-162.05	49.35
2018-19	-183.96	13.52

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस।

उपर्युक्त तालिका में आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 में भारत के व्यापार घाटे में 8.61 प्रतिशत की कमी आई और इसके बाद पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2017-18 में इसमें 49.35 प्रतिशत की और वर्ष 2018-19 में 13.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान एशियाई देशों के प्रतिशत परिवर्तन के साथ व्यापारिक वस्तुओं के व्यापार घाटे का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(घ) और (ङ.) भारत के निर्यात को बढ़ाने तथा व्यापार घाटे को कम करने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

- (i) नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-20 1 अप्रैल, 2015 को आरंभ की गई। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ पूर्व की निर्यात संवर्धन स्कीमों को तर्कसंगत बनाया गया और दो नई स्कीमें अर्थात् माल के निर्यात में सुधार लाने के लिए भारत के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की

स्कीम (एमईआईएस) और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए 'भारत से सेवा निर्यात की स्कीम (एसईआईएस)' आरंभ की गई। इन स्कीमों के अंतर्गत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट पूर्ण रूप से हस्तांतरणीय बनाए गए।

- (ii) विदेश व्यापार नीति 2015-20 की 5 दिसम्बर, 2017 को की गई मध्यावधि समीक्षा के आधार पर श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन राशि में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई।
- (iii) लाजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए वाणिज्य विभाग में एक नए लाजिस्टिक्स प्रभाग का सृजन किया गया। विश्व बैंक के लाजिस्टिक्स कार्यनिष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान वर्ष 2014 में 54 वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2018 में 44वें स्थान पर पहुंच गया।
- (iv) पूर्व एवं पश्चिमी पोतलदान रुपये निर्यात ऋण पर ब्याज समकरण स्कीम को दिनांक 1.4.2015 से प्रारंभ किया गया जिसमें श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज समकरण प्रदान किया जा रहा है। दिनांक 2.11.2018 से एमएसएमई क्षेत्रों के लिए दर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया और दिनांक 2.1.2019 से स्कीम के अंतर्गत मर्चेन्ट निर्यातकों को शामिल किया गया।
- (v) व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाने के लिए आयातक निर्यातक कोडों (आईईसी) को ऑनलाइन जारी करना प्रारंभ किया गया है। विश्व बैंक में "व्यापार करने की सुगमता" में भारत का रैंक वर्ष 2014 में 142 से बेहतर होकर वर्ष 2019 में 63 हो गया तथा "सीमा पार व्यापार" में रैंक 122 से 80 हो गया।
- (vi) देश में निर्यात अवसंरचना अंतर को पाटने के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से एक नई स्कीम नामतः "निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस)" को प्रारंभ किया गया।
- (vii) दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 को एक व्यापक "कृषि निर्यात नीति" प्रारंभ की गई जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना तथा कृषि निर्यात को बल प्रदान करना है।
- (viii) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु परिवहन की उच्च लागत के नुकसान को कम करने के लिए एक नई स्कीम नामतः "परिवहन एवं विपणन सहायता" (टीएमए) स्कीम प्रारंभ की गई है।

दिनांक 5 फरवरी, 2020 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न सं. 498 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान एशियाई देशों के प्रतिशत परिवर्तन के साथ व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार घाटा

(मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में)

क्र.सं.	एशियाई देश	व्यापार घाटा 2015-16	व्यापार घाटा 2016-17	वर्ष 2015-16 की तुलना में 2016-17में प्रतिशत परिवर्तन	व्यापार घाटा 2017-18	वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 में प्रतिशत परिवर्तन	व्यापार घाटा 2018-19	वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 में प्रतिशत परिवर्तन
1	चीन लोक गणराज्य	-39740	-51111	29	-63047	23	-53567	-15
2	सऊदी अरब	-11213	-14862	33	-16659	12	-22917	38
3	इराक	-8067	-10596	31	-16154	52	-20584	27
4	कोरिया गणराज्य	-7200	-8344	16	-11901	43	-12054	1
5	इंडोनेशिया	-8120	-9940	22	-12475	26	-10574	-15
6	ईरान	-2944	-8127	176	-8459	4	-10015	18
7	कतर	-6375	-6862	8	-6937	1	-9111	31
8	जापान	-3733	-5909	58	-6239	6	-7911	27
9	कुवैत	-3105	-2964	-5	-5800	96	-6097	5
10	हांगकांग	4315	5843	35	4014	-31	-4985	-224
11	सिंगापुर	350	2478	609	2736	10	-4709	-272
12	मलेशिया	-4107	-3709	-10	-3310	-11	-4382	32
13	थाईलैंड	-2040	-2282	12	-3481	53	-3000	-14
14	ताइवान	-1497	-959	-36	-1770	84	-1970	11
15	वियतनाम एसओसी	2144	3466	62	2795	-19	-685	-125
16	जॉर्डन	-268	-306	14	-444	45	-537	21
17	ब्रूनेई	-461	-585	27	-372	-36	-535	44
18	ओमान	138	1438	939	-1825	-227	-513	-72
19	मकाऊ	-5	-6	30	6	-187	-5	-194
20	मंगोलिया	3	8	152	19	141	22	16
21	कोरिया लोकतांत्रिक लोक गणराज्य	16	-44	-373	32	-174	24	-26
22	लाओ लोक लोकतांत्रिक गणराज्य	-86	-182	112	-144	-21	38	-127
23	सीरिया	68	89	31	128	43	140	10
24	कम्बोडिया	68	69	1	66	-5	153	134
25	बहरीन आईएस	275	181	-34	126	-31	203	61
26	मालदीव	129	189	46	211	12	203	-4
27	लेबनान	160	180	12	219	21	225	3
28	अफगानिस्तान	191	213	11	276	29	280	1
29	भूटान	116	201	74	168	-17	286	70
30	संयुक्त अरब अमीरात	7208	9666	34	6407	-34	341	-95
31	म्यांमार	-163	41	-125	327	704	684	109
32	यमन	260	441	70	410	-7	730	78
33	फिलीपींस	542	988	82	928	-6	1163	25
34	पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य	1265	1367	8	1436	5	1572	9
35	इज़राइल	605	1126	86	1298	15	1786	38
36	श्रीलंका डीएसआर	3429	3311	-3	3704	12	3222	-13
37	नेपाल	2244	5008	123	6175	23	7258	18
38	बंगलादेश	3844	6118	59	7929	30	8165	3
कुल एशियाई देश		-94814	-92824	-2	-130037	40	-157546	21

टिप्पणी: (-) व्यापार घाटे को दर्शाता है और (+) व्यापार अधिशेष को दर्शाता है।

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस।

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 487

दिनांक 05 फरवरी, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

दकQh fodkl dk ikr lkgu nuuk

487- dekjh 'kkHkk dkjkuNykt

D;k okf.kT; vkj m|kx e=h ;g crku dh d'ik d'ixi fd

- (क) क्या सरकार देश में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में कॉफी विकास को प्रोत्साहन देने की कोई योजना कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) कॉफी उत्पादों के समक्ष आ रही उत्पादन और खेती की समस्याओं का समाधान करने के लिए कॉफी बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कॉफी के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है और कॉफी उत्पादकों को कितनी वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है;
- (घ) क्या कॉफी बोर्ड ने पश्चिमी घाट के राज्यों में भारी वर्षा के कारण 2018-19 के दौरान कॉफी उत्पादन में 30 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार को 2018-19 में कम उत्पादन के साथ कॉफी के निर्यात में कमी होने की उम्मीद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान कॉफी का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हां। सरकार कॉफी बोर्ड के माध्यम से समन्वित कॉफी विकास परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित क्रियाकलाप शामिल हैं :

- (i) परम्परागत कॉफी उपजकर्ता क्षेत्रों में कॉफी के पुनर्रोपण, जल संवर्धन और पर्यावरणीय प्रमाणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लघु उपजकर्ता समूहों/स्व-सहायता समूहों (एसएचजी)/सहकारी समितियों द्वारा कम्युनिटी आधार पर कॉफी के विपणन के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।
- (ii) आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के गैर-परम्परागत क्षेत्रों में कॉफी विस्तार (कॉफी का नव-रोपण करने) एवं कन्सलिटेशन, गुणवत्ता उन्नयन (बेबी पल्पर्स की खरीद करने और सीमेंट ड्राइंग यार्ड्स बनाने के लिए) करने और पर्यावरणीय प्रमाणन/जैविक प्रमाणन के लिए सहायता दी जाती है। स्व-सहायता समूहों (एसएचजी)/जनजातीय उपजकर्ता समूहों द्वारा समुदायिक आधार पर कॉफी का विपणन करने के लिए भी सहायता दी जाती है।

रोस्टिंग, ग्राइंडिंग और पैकिंग मशीनरी लगाने के लिए भी सहायता दी जाती है।

(ख) : कॉफी के उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में समग्र सुधार के लिए अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी अंतरण, क्षमता निर्माण, मूल्यवर्धन के लिए सहायता जैसे विभिन्न उपाय किए जाते हैं। कॉफी बोर्ड ने कॉफी उपजकर्ताओं को उत्पादन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर परामर्शी प्रदान करने के लिए कॉफी कनेक्ट-फील्ड फोर्स मोबाइल ऐप शुरू किया है। बोर्ड ने क्षेमम (कॉफी मृदा स्वास्थ्य अनुवीक्षण एवं प्रबंधन) नामक एक वेब पोर्टल भी आरंभ किया है जो उपजकर्ताओं को अपने क्षेत्रों/बागानों की मृदा उर्वरकता स्थिति तक पहुंच प्रदान करेगा और मृदा स्वास्थ्य कार्ड डाउनलोड किए जा सकेंगे।

(ग) : सरकार ने गैर-परम्परागत एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुनरोपण जल संवर्धन, विस्तार एवं भूमि जोतों के समेकन, मूल्यवर्धन एवं बाजार विकास के लिए उपजकर्ताओं एवं उद्योग को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देकर कॉफी के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि करने के लिए उपाय किए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कॉफी बोर्ड द्वारा दी गई वित्तीय एवं तकनीकी सहायता का विवरण क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) : कॉफी बोर्ड द्वारा मॉनसून के पश्चात (दिसम्बर, 2019 के दौरान) किए गए आकलनों के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए 319500 टन फसल होने का अनुमान है जो मई, 2018 के दौरान किए गए पुष्पण पश्चात के आकलन 380000 टन से लगभग 15 प्रतिशत कम है।

(ड.) : किसी विशिष्ट वर्ष में कॉफी का निर्यात सामान्यतः चालू वर्ष के उत्पादन और विगत वर्ष के स्टॉक पर आधारित होता है। तदनुसार, वर्ष 2018-19 के दौरान उत्पादन में गिरावट का वर्ष 2019-2020 के दौरान निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा। कॉफी बोर्ड द्वारा 31 दिसम्बर, 2019 तक जारी किए गए निर्यात अनुज्ञापत्रों के अनुसार कॉफी के निर्यात में पिछले वर्ष की समसामयिक अवधि अर्थात् वर्ष 2018-19 (244.837 एमटी) की तुलना में वर्ष 2019-20 (241.367 एमटी) में 1.41 प्रतिशत की कमी आई है। विगत तीन वर्षों के दौरान भारत के कॉफी निर्यात की मात्रा निम्नलिखित रही है :-

वर्ष	मात्रा (एमटी)
2016-17	3,44,870
2017-18	3,91,815
2018-19*	3,53,795

स्रोत : कॉफी बोर्ड

*जारी निर्यात परमिटों पर अनंतिम रूप से आधारित

नोट : कॉफी के कुल निर्यात में भारतीय कॉफी का निर्यात तथा आयातित कॉफी का मूल्यवर्धन करने के पश्चात पुनर्निर्यात शामिल है।

काँफी बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान कराई गई वित्तीय सहायता

क्रियाकलाप	भौतिक एवं वित्तीय (लाख रुपये में)					
	2017-18		2018-19		2019-20 (31.12.2019 तक)	
	पी	एफ	पी	एफ	पी	एफ
परम्परागत क्षेत्र :						
पुनर्रोपण विस्तार (हेक्टेयर में)	2936	4289.72	1829	2724.43	185.25	104.42
जल संवर्धन (संख्या में)	4852		3036		606	386.19
गुणवत्ता उन्नयन (पल्पर्स/ड्राइंग याईस) (संख्या में)	2591		1115		-	-
प्रदूषण न्यूनीकरण (संख्या में)	14		15		-	-
पर्यावरणीय प्रमाणन (संख्या में)	2		-		-	-
यंत्रीकरण के लिए सहायता (संख्या में)	3787		771		-	-
श्रमिक कल्याण उपाय	3017		4329		944	30.32
ब्याज सब्सिडी (संख्या में)	1051		284		1217	-
निर्यात प्रोत्साहन :						
क) मूल्यवर्धित काँफी (मीट्रिक टन)	3547	206.96	3484	215.48	240.85	7.23
ख) ग्रीन काँफी (मीट्रिक टन)	5028		5548		4885	51.27
मूल्यवर्धन	-	69.90	22	131.95	-	-
गैर-परम्परागत क्षेत्र						
विस्तार (हेक्टेयर में)	2.86	33.54	2386.72	560.00	3998.8	252.5
गुणवत्ता उन्नयन (पल्पर्स/ड्राइंग याईस) (संख्या में)			1420		83	18.30

पी-भौतिक; एफ- वित्तीय

स्रोत : काँफी बोर्ड

अनुबंध-II

काँफी बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान कराया गया तकनीक/परामर्शी/उद्यमिता प्रशिक्षण

		2017-18	2018-19	2019-20 (31.12.2019 तक)	कुल
1	काँफी बीज उत्पादन (एमटी में)	17.82	15.148	6.44	39.408
2	स्टेड क्लोन्स की आपूर्ति (सीएक्सआर)	44461	35116	29007	108584
3	मृदा/पर्ण विश्लेषण एवं कृषि रसायन विश्लेषण	10022	9128	2179	21329
4	ब्रोको/फेरोमोन ट्रैप्स	62800	38207	12352	113359
5	काँफी नमूनों का गुणवत्ता विश्लेषण	772	421	291	1484
6	नमी माप का मापांकन	114	109	118	341
7	सम्पदा भ्रमण	27000	30243	14838	72081
8	प्रक्षेत्र निदर्शन	3124	3191	1895	8210
9	परामर्शी पत्र	229	374	441	1044
10	समूह बैठकें/संगोष्ठियां/ ग्राम स्तरीय बैठकें	644	463	2833	3940
11	मीडिया प्रचार (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया)	717	586	366	1669
12	प्रशिक्षण कार्यक्रम	238	351	2760	3349
13	कामगारों/उपजकर्ताओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	43	38	14	95
14	प्रतिदर्श बागानों/टेक/रिस स्टेशन का भ्रमण	70	122	37	229
15	उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम	53	0	20	73
16	काँफी शास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम	111	55	96	262

स्रोत : काँफी बोर्ड

दिनांक 5 फरवरी, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

अनावश्यक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध

485. श्री निहाल चन्द चौहान:

श्रीमती जसकौर मीना:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में कितनी वस्तुओं का आयात किया जा रहा है;
- (ख) क्या सरकार कतिपय अनावश्यक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (घ) जिन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है, उनका ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) उक्त प्रतिबंध को कब तक लागू किया जाएगा

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) वर्तमान में 8 डिजिट स्तर की लगभग 11,500 प्र"जुलक लाइनों में से 8 डिजिट स्तर की 9,631 प्र"जुलक लाइनों पर आयात हुआ है।

(ख), (ग), (घ) और (ङ.) वर्तमान में किसी मद को प्रतिबंधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मानव स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के आधार पर चीन से चाकलेट और चाकलेट उत्पाद और केन्डीज/कन्फेक्शनरी/दुग्ध अथवा दुग्ध सालिड्स की सामग्री से बनी खाद्य निर्मितियों सहित दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का आयात वर्ष 2008 से 'प्रतिबंधित' है। इराक से अस्त्र-र"स्त्र और संबंधित सामग्रियों का आयात 'प्रतिबंधित' है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के आधार पर कोरिया लोकतांत्रिक लोक गणराज्य, इरान और सोमालिया से विनिर्दिष्ट आयात पर दे"र" वि"र"िष्ट प्रतिबंध है।

दिनांक 05 फरवरी, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

नए व्यापार मेले संकुलों की स्थापना

481. श्री राजेश वर्मा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश में विभिन्न राज्यों में नए व्यापार मेले संकुलों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) ऐसे संकुलों को सरकार द्वारा कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) इस पर सरकार द्वारा व्यय किए जाने वाली संभावित निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): यह विभाग पात्र एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर 'निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस)' के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन केंद्रों सहित निर्यात अवसंरचना की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

इस विभाग ने विभिन्न राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा व्यापार मेला परिसरों के समान प्रस्तुत विभिन्न परियोजना प्रस्तावों के लिए 'निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस)' के तहत वित्तीय सहायता अनुमोदित की है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयनकारी एजेंसी	कुल परियोजना लागत /कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इंगित समय सूची
1.	व्यापार सह स्थाई प्रदर्शनी केंद्र इम्फाल,मणिपुर में मुख्य प्रदर्शनी इमारत (चरण II) की स्थापना	मणिपुर औद्योगिक विकास निगम (एमएएनआईडीसीओ), मणिपुर सरकार	• कुल परियोजना लागत - 15.86 करोड़ रुपये • 80% पूर्ण
2.	चेन्नई व्यापार केन्द्र तमिलनाडु का विस्तार	तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन	• कुल परियोजना लागत - 288.16 करोड़ रुपये • चालू

3.	व्यापार संवर्धन केन्द्र मिंटो हॉल, भोपाल , मध्य प्रदेश की स्थापना	एम.पी. राज्य पर्यटन विकास निगम	• कुल परियोजना लागत - 49.39 करोड़ रुपये • पूर्ण
4.	विश्व व्यापार केन्द्र, रांची	जेआईआईडीसीओ, झारखंड सरकार	• कुल परियोजना लागत 44.60 करोड़ रुपये • चालू
5.	निर्यात व्यापार सुविधा केंद्र, चेन्नई की स्थापना	एसआईपीसीओटी, तमिलनाडु सरकार	• कुल परियोजना लागत 28.96 करोड़ रुपये • हाल ही में अनुमोदित

प्रदर्शनी-सह-कन्वेंशन केन्द्र (ईसीसी), द्वारका, नई दिल्ली का विकास 25,703 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2025 तक पूरा होने की समय सीमा के साथ 10 नवम्बर, 2017 को आयोजित केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया। भारत सरकार ने इस परियोजना के चरण-1 के लिए 2037.39 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता अनुमोदित की है।

भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात (2004-05 से 2008-09)

मात्रा हजार इकाइयों में; मूल्य करोड़ रूप में											
		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
विवरण	यूनिट	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चाय	किलोग्राम	183,407.88	1840.30	162,856.23	1730.73	185,627.14	1969.51	197,393.10	2034.17	207,455.36	2688.87
काँफी	किलोग्राम	167,547.91	1069.08	177,684.66	1588.69	213,650.43	1969.00	178,302.70	1872.27	174,081.30	2255.76
दालें	टन	271.66	602.58	447.47	1115.21	250.72	773.34	164.21	526.41	136.28	540.22
चावल बासमती	टन	1168.15	2824.11	1166.60	3043.10	1045.75	2792.81	1182.16	4340.82	1556.42	9477.03
चावल (बासमती के अलावा)	टन	3665.11	3944.81	2921.63	3178.17	3702.24	4243.10	5287.03	7410.98	931.89	1687.37
गेहूं	टन	2009.05	1459.82	746.18	557.53	46.64	35.35	0.24	0.24	1.12	1.46
अन्य अनाज	टन	1182.04	793.83	567.24	453.82	730.28	599.25	3228.06	3002.33	3999.65	3920.58
दुग्ध उत्पाद		0.00	458.79	0.00	794.61	0.00	497.09	0.00	960.24	0.00	1130.08
पुष्प उत्पाद		0.00	222.92	0.00	301.45	0.00	652.70	0.00	340.30	0.00	368.81
तबाकू अनिर्मित	किलोग्राम	135,787.81	940.07	142,702.35	1021.32	158,253.64	1251.28	173,344.84	1432.80	208,314.45	2766.27
तबाकू निर्मित		0.00	314.54	0.00	309.34	0.00	433.89	0.00	499.09	0.00	694.78
मसाले	किलोग्राम	366,345.93	1883.17	400,245.16	2115.98	482,795.24	3157.90	612,555.69	4204.50	673,875.65	6338.44
चीनी	टन	108.76	149.58	321.22	569.11	1643.41	3127.47	4684.57	5412.16	3332.08	4448.74
सीरा	टन	8.16	5.53	72.94	28.81	326.87	133.37	897.53	250.62	172.20	82.70
काजू नट शैल लिक्विड	किलोग्राम	5330.47	11.94	5941.61	8.67	8092.16	15.34	14781.21	25.17	10824.82	29.69
काजू	टन	118.12	2477.18	125.13	2584.70	122.80	2491.18	111.27	2209.60	126.15	2900.97
तिल के बीज	किलोग्राम	167,920.44	708.95	199,807.99	746.60	233,344.81	939.58	317,014.88	1642.29	196,980.29	1494.26
मूंगफली	टन	193.80	547.02	190.07	513.69	251.43	798.46	269.59	1054.08	297.89	1239.01
स्प्रिरीट एवं पेय		0.00	139.31	0.00	253.16	0.00	271.67	0.00	345.70	0.00	554.48
ग्वारगम खाद्य	टन	133.90	689.48	186.73	1049.23	189.34	1125.79	211.18	1125.75	258.57	1338.99
तेल खाद्य	टन	3623.23	3177.65	5976.01	4875.01	6437.44	5504.32	6908.50	8140.55	6742.94	10269.24
अरंडी का तेल	किलोग्राम	271,807.48	1077.98	254,717.98	939.74	294,873.30	1090.11	282,181.72	1275.72	357,261.36	2128.72
चपड़ा	किलोग्राम	8545.50	164.87	9297.92	159.99	7343.46	147.20	7901.70	123.97	6027.21	103.89
नाईजर बीज	किलोग्राम	26138.25	64.74	28424.67	60.25	30017.19	66.87	21682.86	90.03	13724.04	64.23
फल / सब्जी बीज	किलोग्राम	6725.10	65.99	7522.14	92.96	8104.09	121.59	10082.13	141.96	8535.53	119.99
ताजा फल		0.00	862.05	0.00	1120.69	0.00	1413.98	0.00	1446.59	0.00	1945.24
ताज़ी सब्जियां		0.00	862.87	0.00	919.81	0.00	1546.53	0.00	1477.89	0.00	2454.15
प्रसंस्कृत सब्जियां		0.00	362.55	0.00	494.48	0.00	650.23	0.00	602.18	0.00	711.22
प्रसंस्कृत फल और रस		0.00	369.37	0.00	599.91	0.00	711.40	0.00	773.40	0.00	1099.15
विविध प्रसंस्कृत मर्दे		0.00	907.96	0.00	989.53	0.00	1125.05	0.00	1362.39	0.00	2077.44
मांस और निर्मितियां		0.00	1905.27	0.00	2750.17	0.00	3314.03	0.00	3749.47	0.00	5371.42
समुद्री उत्पाद	किलोग्राम	484,047.17	6469.21	554,196.97	7035.91	611,551.15	8001.04	490,059.95	6926.67	464,903.03	7066.69
अपशिष्ट सहित कच्ची कपास	टन	86.59	422.58	614.81	2904.35	1162.25	6107.81	1557.58	8865.39	457.56	2865.86
कुक्कुट उत्पाद		0.00	281.91	0.00	313.37	0.00	313.82	0.00	429.53	0.00	413.53
कुल			38078.00		45220.05		57392.04		74095.25		80649.27

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात (2009-10 से 2014-15)													
मात्रा हजार इकाइयों में; मूल्य करोड़ रुपए में													
		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
विवरण	यूनिट	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चाय	कि.ग्रा.	207,839.07	2943.53	238,146.24	3354.34	271,983.56	4078.53	268,799.83	4718.79	249,907.55	4873.34	234,388.70	4171.25
काँफी	कि.ग्रा.	157,138.32	2032.06	230,995.68	3009.91	276,520.99	4534.62	254,017.79	4711.07	253,902.13	4799.10	242,975.06	4973.25
चावल बासमती	टन	2016.87	10889.60	2330.25	11354.63	3169.45	15449.60	3459.83	19409.39	3754.10	29291.82	3698.93	27586.71
चावल (बासमती के अलावा)	टन	139.55	365.30	100.68	231.29	3991.77	8659.13	6687.85	14448.81	7136.19	17795.21	8302.21	20441.55
गेहूँ	टन	0.03	0.05	0.40	0.70	749.63	1023.20	6514.82	10529.00	5572.03	9277.65	2924.05	4991.81
अन्य अनाज	टन	2881.22	2973.19	3220.09	3648.49	4072.57	5492.92	5441.31	8180.61	4926.05	7178.14	3515.35	5262.16
दालें	टन	100.13	408.32	209.02	870.04	173.50	1067.93	202.67	1284.99	345.66	1749.30	222.14	1218.31
तंबाकू अनिमित	कि.ग्रा.	230,804.37	3621.44	215,879.82	3151.58	197,165.22	2899.46	230,414.16	3815.76	237,106.04	4782.74	219,572.23	4162.71
तंबाकू निर्मित		0.00	722.96	0.00	833.61	0.00	1106.96	0.00	1214.48	0.00	1351.72	0.00	1705.88
मसाले	कि.ग्रा.	601,402.12	5948.73	688,394.39	7886.51	858,200.11	13102.50	932,591.86	15176.75	895,914.70	15146.36	939,008.20	14847.75
काजू	टन	107.47	2801.58	92.38	2819.39	107.81	4390.16	104.09	4067.21	120.74	5095.49	134.57	5565.85
काजू नट शैल लिक्विड	कि.ग्रा.	11226.86	27.62	11918.03	33.77	13185.84	59.46	9191.51	29.84	9480.28	38.61	10937.59	55.81
तिल के बीज	कि.ग्रा.	215,693.18	1494.10	360,132.29	2307.52	388,225.49	2641.66	299,482.29	2880.85	257,441.09	3583.46	375,656.06	4717.77
नाइजर बीज	कि.ग्रा.	6004.09	24.23	12863.06	44.51	28225.08	117.27	17904.56	90.13	20841.06	113.61	18155.89	108.96
मुंगफली	टन	340.26	1425.93	433.76	2178.41	832.62	5246.45	535.64	4065.36	509.75	3187.66	788.31	4675.37
अन्य तिलहन	टन	49.79	139.36	42.82	113.40	61.81	201.43	87.59	414.61	194.46	945.53	247.54	1135.36
वनस्पति तेल	टन	14.75	182.90	13.71	114.62	31.97	276.79	36.31	470.49	22.96	323.85	42.05	580.13
आयल मिल	टन	4671.14	7831.79	6945.17	11069.58	7405.19	11796.46	6578.17	16519.53	9830.21	17070.13	3904.59	8129.18
ग्वारगम मील	टन	217.41	1133.31	421.43	2938.70	702.73	16523.87	406.32	21287.00	601.97	11735.41	665.11	9478.26
अरंडी का तेल	कि.ग्रा.	397,990.27	2179.28	424,458.12	2982.92	492,628.33	4571.67	565,994.07	4309.82	544,795.66	4364.33	566,463.64	4710.42
चपड़ा	कि.ग्रा.	4044.41	71.30	4333.86	140.07	4337.76	256.79	3603.66	401.74	7743.78	513.96	5242.54	267.47
चीनी	टन	44.74	110.21	1733.87	5472.79	2749.43	8766.78	2793.78	8576.32	2535.31	7178.50	1955.19	5328.83
सीरा	टन	31.10	19.77	371.93	214.09	384.13	204.33	342.15	223.03	211.65	147.29	247.61	193.01
फल / सब्जी बीज	कि.ग्रा.	8434.00	145.08	11622.33	184.92	15205.81	287.76	17168.00	347.72	19338.58	416.58	12499.31	427.04
ताजा फल	टन	475.76	1524.21	446.76	1355.19	487.95	1937.22	534.50	2686.55	525.18	3645.62	539.23	3160.08
ताजी सब्जियां	टन	2032.40	3014.32	1660.25	2620.48	2040.45	3023.31	2343.88	3407.19	2288.30	5384.47	2081.80	4666.45
प्रसंस्कृत वेजीटेबल्स	कि.ग्रा.	0.00	743.12	0.00	747.92	175,114.17	1043.72	159,827.79	1102.56	132,366.77	1288.86	186,036.18	1721.89
प्रसंस्कृत फल और जूस	कि.ग्रा.	0.00	1904.18	0.00	1859.96	536,361.08	2277.04	536,811.78	2577.32	604,650.08	3332.05	588,375.09	3626.86
अनाज तैयार	टन	172.20	1030.09	213.58	1264.15	299.62	1888.62	292.69	2240.76	319.55	2856.26	313.67	3036.64
कोको उत्पाद	कि.ग्रा.	5863.88	96.99	9077.54	126.97	16678.58	175.98	19083.35	293.92	16229.24	573.22	33365.20	848.66
अनाज तैयार	कि.ग्रा.	72740.53	153.63	99101.17	197.06	171,123.76	358.92	273,546.27	603.61	419,263.94	1008.01	420,854.41	1030.61
विविध प्रसंस्कृत मद		0.00	838.19	0.00	1065.48	0.00	1434.17	0.00	1853.98	0.00	2531.48	0.00	2772.45
पशु मामले	कि.ग्रा.	1716.90	32.82	1804.72	33.24	1011.22	33.98	645.84	21.46	266.72	28.46	260.15	19.33
धैंस का मांस	टन	490.40	5481.43	726.66	8613.31	984.96	13741.11	1076.10	17408.99	1365.64	26457.82	1503.51	29282.58
भेड़ / बकरी मांस	टन	53.07	745.94	12.30	258.83	10.94	252.83	15.29	426.47	22.61	694.12	23.61	828.11
अन्य मांस	टन	1.17	10.75	1.03	9.51	0.32	3.67	0.19	2.33	0.27	3.40	0.26	2.67
संसाधित मांस	टन	0.67	8.79	0.92	13.96	0.58	9.50	0.80	9.37	0.51	7.68	0.41	14.20
दुग्ध उत्पाद	कि.ग्रा.	0.00	796.99	0.00	1216.76	52497.25	647.79	127,255.69	2324.68	199,090.16	4407.78	104,170.98	2169.03
कुबकुट उत्पाद		0.00	372.53	0.00	314.33	0.00	458.05	0.00	494.93	0.00	566.80	0.00	651.19
पुष्प उत्पाद	कि.ग्रा.	0.00	294.46	0.00	296.04	30924.20	365.32	27121.86	423.45	22179.80	455.90	22949.27	460.80
प्राकृतिक रबड़	टन	25.60	245.37	29.70	556.16	26.53	443.97	31.59	590.39	10.03	167.85	3.06	43.31
मादक पेय	एल टीआर	0.00	584.87	0.00	819.86	216,393.01	1469.07	270,490.38	1932.45	316,249.24	2429.67	269,997.23	2264.89
समुद्री उत्पाद	कि.ग्रा.	698,448.12	9899.98	785,069.04	11917.11	902,411.68	16584.71	965,099.42	18841.20	1,192,882.37	30627.28	1,231,807.69	33688.38
अपशिष्ट सहित कच्चा मांस	टन	0.00	9537.08	0.00	13162.42	2006.68	21624.24	2056.70	20276.51	1947.69	22337.84	1142.53	11642.64
कुल			84807.40		111,404.54		180,528.94		224,691.43		259,764.35		236,665.61

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात (2015-16 से 2018-19)									
मात्रा हजार इकाइयों में; मूल्य करोड़ रूपए में									
		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
विवरण	यूनिट	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चाय	कि.ग्रा.	245,701.97	4719.00	243,429.62	4905.64	272,894.98	5396.65	270,306.40	5828.34
काँफी	कि.ग्रा.	255,744.05	5125.45	288,613.37	5646.43	317,828.97	6245.36	282,839.90	5721.98
चावल -बासमती	टन	4045.83	22718.60	3985.21	21512.91	4056.85	26870.67	4414.61	32804.30
चावल (अन्य बासमती)	टन	6464.59	15483.39	6770.83	16929.88	8818.53	23437.23	7648.00	21171.17
गेहूँ	टन	666.68	1061.77	265.61	447.85	322.79	624.37	226.63	424.47
अन्य अनाज	टन	967.93	1702.50	734.77	1425.77	864.24	1604.28	1257.24	2426.07
दालें	टन	255.72	1655.90	136.72	1277.70	179.60	1469.63	287.13	1801.51
तंबाकू अनिमित	कि.ग्रा.	215,316.96	4373.45	204,447.42	4249.85	185,363.88	3828.13	189,554.21	3984.53
तंबाकू निर्मित		0.00	2078.91	0.00	2174.12	0.00	2193.58	0.00	2874.07
मसाले	कि.ग्रा.	831,681.12	16630.14	1,014,453.31	19111.25	1,096,322.85	20084.91	1,133,889.44	23217.77
काजू	टन	103.13	5027.99	91.79	5278.61	90.06	5945.28	78.22	4579.17
काजू नट शैल लिक्विड	कि.ग्रा.	11677.26	57.59	11404.76	43.99	8325.16	32.63	5300.66	26.91
तिल के बीज	कि.ग्रा.	328,455.73	3012.31	307,328.55	2695.84	336,850.37	2990.93	312,003.34	3761.62
नाइजर बीज	कि.ग्रा.	14121.56	123.27	14070.46	117.22	9215.04	69.86	13370.58	95.50
मूंगफली	टन	542.73	4075.63	725.71	5444.33	504.04	3386.30	489.19	3297.32
अन्य तिलहन	टन	204.62	964.47	193.27	846.58	295.10	1126.32	213.84	926.75
वनस्पति तेल	टन	30.60	522.94	60.47	779.97	37.06	566.04	49.96	744.58
आयल मिल	टन	2056.36	3599.56	2632.26	5410.10	3570.78	7043.15	4493.29	10557.48
ग्वारगम मील	टन	325.25	3233.87	419.95	3106.62	494.13	4169.56	513.22	4707.05
अरंडी का तेल	कि.ग्रा.	586,778.44	4616.10	599,195.56	4521.51	697,092.50	6730.00	619,376.57	6170.12
चपड़ा	कि.ग्रा.	6393.50	203.31	6065.00	225.53	6530.85	285.18	6996.04	304.79
चीनी	टन	3844.45	9824.52	2544.01	8659.54	1757.93	5225.60	3989.66	9523.14
सीरा	टन	818.57	656.84	390.67	314.94	123.97	97.45	845.96	586.80
फल / सब्जी बीज	कि.ग्रा.	13104.11	529.19	11288.62	522.75	14465.77	670.91	17532.40	866.31
ताजा फल	टन	654.66	4191.24	817.06	4974.21	714.00	4913.28	823.09	5538.15
ताजी सब्जियां	टन	2104.36	5237.10	3404.07	5790.71	2448.02	5297.72	3192.49	5679.10
प्रसंस्कृत वेजीटेबल्स	कि.ग्रा.	174,427.54	1697.22	192,855.77	1765.75	212,203.36	1823.36	228,967.00	2055.41
प्रसंस्कृत फल और जूस	कि.ग्रा.	532,293.28	3767.08	533,152.10	3921.08	573,281.42	4169.13	594,487.33	4481.25
अनाज तैयार	टन	316.54	3358.12	339.95	3565.55	353.35	3561.69	347.81	3859.46
कोको उत्पाद	कि.ग्रा.	32652.56	1267.61	25649.50	1086.77	29579.53	1144.35	27607.09	1350.86
अनाज तैयार	कि.ग्रा.	431,464.50	1102.73	255,803.65	813.54	270,396.97	876.62	307,419.30	1063.03
विविध प्रसंस्कृत मद		0.00	2907.85	0.00	3053.79	0.00	3548.95	0.00	4613.38
पशु मामले	कि.ग्रा.	206.36	17.02	173.24	13.84	12424.66	327.44	14882.83	480.66
शैंस का मांस	टन	1314.22	26684.22	1323.58	26161.38	1350.25	26035.19	1233.38	25091.43
शेड / बकरी मांस	टन	21.95	837.76	22.01	869.84	22.80	843.61	21.67	867.53
अन्य मांस	टन	0.00	0.00	0.01	0.21	0.45	7.00	0.85	13.73
संसाधित मांस	टन	0.28	6.16	0.14	4.58	0.27	9.89	0.41	13.92
दुग्ध उत्पाद	कि.ग्रा.	77527.13	1677.46	90352.31	1701.18	102,262.55	1954.63	180,688.06	3375.73
कुबकुट उत्पाद		0.00	769.14	0.00	530.44	0.00	552.09	0.00	687.22
पुष्प उत्पाद	कि.ग्रा.	22691.95	483.41	22020.33	546.71	20703.51	507.32	19694.69	571.43
प्राकृतिक रबड़	टन	6.04	386.85	24.46	252.92	7.70	89.69	6.66	77.28
मादक पेय	एल टीआर	242,095.45	2030.92	232,179.33	2004.79	241,013.37	2105.78	231,601.93	2103.97
समुद्री उत्पाद	कि.ग्रा.	978,036.22	31219.48	1,185,272.87	39593.78	1,432,456.67	47646.41	1,672,386.11	47664.94
अपशिष्ट सहित कच्चा मांस	टन	1347.07	12821.13	996.09	10907.32	1101.47	12200.05	1143.07	14627.55
कुल			212,459.20		223,207.31		247,708.20		270,617.79

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

भारत में कृषि उत्पादों का आयात (2004-05 से 2008-09)

मात्रा हजार इकाइयों में; मूल्य करोड़ रूपए में											
		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
विवरण	यूनिट	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
गेहूं	टन	0.22	0.11	0.00	0.00	6079.56	5850.49	1793.21	2657.51	0.02	0.01
चावल	टन	0.00	0.00	0.26	0.34	0.16	0.41	0.15	0.42	0.08	0.54
अन्य अनाज	टन	6.36	6.33	27.88	30.09	7.96	11.73	10.42	19.34	20.60	45.46
अनाज तैयार	टन	44.53	110.23	42.37	129.23	38.21	132.92	43.94	161.83	29.76	170.17
दालें	टन	1323.30	1757.04	1695.96	2476.25	2270.97	3891.91	2835.06	5374.94	2474.11	6246.40
चाय	किलोग्राम	31199.77	143.86	18747.13	108.14	23293.45	127.06	19725.72	130.95	25159.25	197.00
मिल्क और क्रीम	टन	2.22	12.87	1.63	14.20	3.09	28.90	2.07	29.66	3.24	38.21
काजू की गिरी	टन	470.80	1763.81	543.94	2089.46	586.49	1820.75	591.88	1714.75	614.46	2672.43
काजू को छोड़कर फल और नट्स		0.00	1079.95	0.00	1390.32	0.00	1913.11	0.00	1858.64	0.00	2372.89
मसाले	किलोग्राम	104,503.33	576.47	108,926.57	687.81	118,510.73	738.90	140,590.38	941.36	122,849.53	1076.07
चीनी	टन	932.43	975.70	558.77	651.59	1.05	3.49	0.49	2.24	386.10	583.16
तिलहन		0.00	25.95	0.00	47.03	0.00	104.47	0.00	149.46	0.00	129.58
वनस्पति तेल (खाने योग्य)	टन	4692.73	10940.63	4288.11	8960.99	4269.37	9539.90	4903.39	10301.09	6719.35	15837.46
प्राकृतिक रबड़	टन	70.42	415.64	45.29	274.51	89.80	780.51	86.39	788.89	77.76	937.20
कच्ची कपास: काम्ब./अनकाम्ब./अपशिष्ट	टन	188.39	1115.54	98.76	703.66	81.48	663.07	136.50	912.14	211.69	1690.22
कुल			18924.13		17563.62		25607.60		25043.21		31996.80

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

भारत से कृषि उत्पादों का आयात (2009-10 से 2014-15)													
मात्रा हजार इकाइयों में; मूल्य करोड़ रूपए में													
		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
विवरण	यूनिट	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चाय	कि.ग्रा.	34459.38	276.52	20824.06	202.00	22429.49	218.91	22301.32	274.52	22739.91	291.68	28390.47	388.66
कॉफी	कि.ग्रा.	40884.15	297.34	41634.07	295.00	46055.69	469.52	71201.37	795.72	59940.86	729.02	74884.58	930.47
चावल बासमती	टन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चावल (बासमती के अलावा)	टन	0.07	0.37	0.19	0.92	0.60	3.00	0.72	3.96	1.44	8.29	1.96	10.83
गेहूँ	टन	164.38	231.90	185.28	255.84	0.02	0.08	2.94	6.03	11.27	26.92	29.49	61.34
अन्य अनाज	टन	33.69	76.33	30.68	59.53	15.36	30.04	45.58	111.01	22.32	98.03	23.40	61.76
दालें	टन	3749.99	10629.16	2777.83	7512.49	3495.84	9448.35	4013.24	13344.63	3643.71	12792.62	4584.85	17062.94
तंबाकू अनिमित	कि.ग्रा.	1074.71	37.76	1320.74	44.61	2015.63	68.57	2166.77	91.94	1549.35	79.52	1930.42	98.17
तंबाकू निर्मित		0.00	78.73	0.00	80.36	0.00	113.01	0.00	155.01	0.00	168.87	0.00	200.28
मसाले	कि.ग्रा.	161,782.16	1476.04	124,494.40	1595.91	146,767.74	2284.85	175,559.21	2715.76	155,577.43	3451.69	163,094.90	4393.25
काजू	टन	755.96	3047.50	529.73	2649.07	811.90	5381.43	898.52	5433.91	776.33	4667.80	933.19	6599.74
काजू नट शैल लिक्विड	कि.ग्रा.	0.00	0.00	43.00	0.07	195.00	0.32	141.43	0.33	379.07	2.08	1720.40	10.03
तिल के बीज	कि.ग्रा.	9228.56	53.26	8727.92	37.66	609.28	3.93	38050.45	296.03	72928.10	808.64	34767.79	379.99
नाइजरबीज	कि.ग्रा.	3504.77	13.33	233.00	0.79	117.23	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	703.00	3.73
मूंगफली	टन	0.39	1.70	0.00	0.00	0.10	0.47	0.04	0.29	0.11	0.36	0.13	0.49
अन्य तिलहन	टन	56.94	118.18	44.95	74.76	41.22	88.77	44.26	109.74	54.70	166.79	51.56	163.29
खाने योग्य तेल	टन	6734.45	22316.68	6039.02	25919.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वनस्पति तेल	टन	0.00	0.00	0.00	0.00	8442.28	46334.15	11017.66	61270.66	10467.30	56836.35	12731.60	64889.60
तेल खाद्य	टन	127.73	104.69	79.22	75.03	86.13	98.72	148.30	210.38	126.94	199.87	165.10	272.65
ग्वारगम खाद्य	टन	0.07	2.41	0.09	2.66	0.30	9.90	0.57	33.61	0.38	21.85	0.13	5.72
अरंडी का तेल	कि.ग्रा.	56.85	0.44	12.61	0.91	55.34	1.29	142.80	2.23	68.95	2.04	52.36	1.81
चपड़ा	कि.ग्रा.	3552.31	34.10	3293.55	50.55	541.88	22.15	2782.51	172.61	680.72	45.80	1770.84	59.54
चीनी	टन	2551.42	5965.80	1034.58	2789.54	99.71	313.83	1122.25	3094.38	880.96	2286.86	1538.64	3668.21
सीरा	टन	45.54	32.29	7.29	6.15	12.40	4.35	14.68	7.50	15.07	8.93	60.28	30.14
फल / सब्जी बीज	कि.ग्रा.	12668.02	284.42	11139.67	291.22	13180.92	380.15	16045.49	471.10	8294.15	449.48	14012.28	611.53
ताजा फल	टन	562.19	2843.47	630.23	3586.51	723.24	4610.67	802.14	6180.42	769.20	7715.87	900.98	9566.81
ताजी सब्जियां	टन	5.40	8.14	16.61	40.60	5.04	7.31	7.03	11.24	25.98	41.67	8.24	11.14
प्रसंस्कृत सब्जियां	कि.ग्रा.	0.00	77.90	0.00	117.48	20500.72	120.19	0.00	149.01	20289.09	173.94	10960.19	104.45
प्रसंस्कृत फल और जूस	कि.ग्रा.	0.00	191.12	0.00	251.54	30659.39	315.03	0.00	432.06	31973.06	410.83	33552.68	499.54
अनाज तैयार	टन	39.11	188.92	37.73	243.43	45.82	316.39	50.42	359.98	53.47	419.34	72.72	583.93
कोको उत्पाद	कि.ग्रा.	25227.73	376.08	33802.27	584.21	50759.95	934.32	53331.11	1049.25	51627.35	1071.55	65387.03	1551.63
मिल्ड उत्पाद	कि.ग्रा.	2489.63	9.76	3740.38	10.96	2882.81	11.88	4522.60	23.75	3977.44	22.01	3465.37	17.72
विविध प्रसंस्कृत मद		0.00	552.34	0.00	664.01	0.00	915.19	0.00	1268.33	0.00	1474.47	0.00	1785.23
पशु केसिंग्स	कि.ग्रा.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
शेड / बकरी मांस	टन	0.04	1.22	0.03	0.80	0.01	0.21	0.02	1.52	0.06	5.13	0.09	8.73
अन्य मांस	टन	0.33	6.67	0.35	7.01	0.54	12.48	0.43	15.71	0.36	15.80	0.47	19.50
संसाधित मांस	टन	1.41	9.79	0.78	7.56	0.96	9.74	0.57	9.02	0.39	7.64	0.17	5.17
दुग्ध उत्पाद	कि.ग्रा.	0.00	333.64	0.00	847.83	71903.49	1219.41	0.00	184.25	10487.31	232.68	43837.63	375.01
कुबकुट उत्पाद		0.00	26.72	0.00	14.46	0.00	19.72	0.00	18.29	0.00	23.39	0.00	38.22
पुष्प उत्पाद	कि.ग्रा.	0.00	45.88	0.00	45.48	3064.32	68.64	0.00	85.67	4308.80	112.19	4820.19	113.37
प्राकृतिक रबड़	टन	177.13	1602.15	190.73	2928.33	214.42	4248.18	262.74	4590.14	360.27	5537.29	442.13	4990.09
मादक पेय	एल टीआर	0.00	1244.26	0.00	1029.13	113,182.71	1309.77	0.00	1416.77	114,452.98	2076.18	177,683.00	2508.66
समुद्री उत्पाद	कि.ग्रा.	27346.02	303.09	28346.87	429.04	34223.12	569.53	28103.79	452.70	31219.16	411.01	27721.32	453.90
अपशिष्ट सहित कच्ची कपास	टन	0.00	1241.37	0.00	622.24	77.42	1059.19	232.56	2466.74	180.97	2375.78	289.39	3101.92
कुल			54141.45		53375.25		81026.50		107,316.20		105,270.28		125,639.16

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

भारत में कृषि उत्पादों का आयात (2015-16 से 2018-19)									
मात्रा हजार इकाइयों में; मूल्य करोड़ रूपए में									
		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
विवरण	यूनिट	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चाय	कि.ग्रा.	23722.24	377.47	24893.01	338.35	24938.77	356.99	28851.38	417.96
कॉफी	कि.ग्रा.	65612.80	801.83	78041.34	926.81	77217.05	996.50	82772.39	958.59
चावल (बासमती के अलावा)	टन	1.02	5.91	1.14	7.25	2.12	12.18	6.87	32.14
गेहूं	टन	517.67	872.59	5749.43	8509.05	1649.73	2357.84	2.75	5.44
अन्य अनाज	टन	206.14	344.31	311.37	493.18	265.13	433.90	244.32	471.28
दालें	टन	5797.71	25619.06	6609.49	28523.18	5607.53	18748.57	2527.88	8035.30
तंबाकू अनिमित	कि.ग्रा.	2883.25	137.30	1969.03	77.21	1542.20	69.47	2595.83	102.89
तंबाकू निमित		0.00	193.92	0.00	228.54	0.00	185.92	0.00	257.52
मसाले	कि.ग्रा.	197,058.87	5399.95	242,293.68	5760.25	222,325.65	6385.26	240,555.22	7932.70
काजू	टन	961.67	8701.28	774.51	9027.09	654.02	9134.33	839.64	11162.32
काजू नट शैल लिक्विड	कि.ग्रा.	1858.35	5.60	1687.77	3.67	2092.36	5.66	6611.49	21.05
तिल के बीज	कि.ग्रा.	23597.10	179.66	69028.83	442.15	26269.59	176.77	87538.04	875.17
नाइजर बीज	कि.ग्रा.	5780.00	44.14	10656.00	82.82	5332.80	29.00	8664.88	40.62
मूंगफली	टन	0.11	0.31	0.33	1.39	1.72	13.04	1.09	8.14
अन्य तिलहन	टन	62.51	218.62	116.64	392.36	127.35	364.59	220.48	745.35
वनस्पति तेल	टन	15643.74	68676.62	14007.39	73038.98	15361.02	74995.91	15019.30	69023.79
तेल खाद्य	टन	256.55	429.91	550.43	974.59	485.96	746.67	504.00	869.56
ग्वारगम खाद्य	टन	0.63	13.93	0.18	2.41	0.43	3.30	0.72	5.90
अरंडी का तेल	कि.ग्रा.	31.76	1.10	107.21	1.50	38.37	2.54	223.82	5.32
चपड़ा	कि.ग्रा.	705.39	19.48	459.61	13.43	466.92	18.38	640.96	19.35
चीनी	टन	1943.13	4037.86	2146.15	6868.61	2402.98	6035.84	1490.61	3175.39
सीरा	टन	17.27	7.50	13.84	9.04	72.85	69.29	4.47	1.38
फल / सब्जी बीज	कि.ग्रा.	14328.07	703.03	14073.87	653.33	16051.46	768.26	19725.77	835.81
ताजा फल	टन	857.90	11071.57	1057.51	11290.62	994.70	12524.55	1124.18	13931.65
ताजी सब्जियां	टन	140.73	394.45	8.55	11.12	15.66	25.64	14.75	24.22
प्रसंस्कृत सब्जियां	कि.ग्रा.	15379.02	120.33	13323.28	115.26	15335.42	134.83	18097.79	161.83
प्रसंस्कृत फल और जूस	कि.ग्रा.	40494.96	526.49	42993.07	548.10	53585.04	803.81	59123.89	909.34
अनाज तैयार	टन	61.70	575.42	66.46	579.03	71.10	659.68	90.58	971.36
कोको उत्पाद	कि.ग्रा.	56424.69	1398.91	63611.90	1542.28	71257.55	1473.10	87595.13	1845.89
मिल्ड उत्पाद	कि.ग्रा.	4393.66	21.40	3555.95	16.22	3275.70	13.02	4184.83	15.60
विविध प्रसंस्कृत मद		0.00	1811.12	0.00	2115.82	0.00	2249.73	0.00	2560.20
शेड़ / बकरी मांस	टन	0.05	4.80	0.13	8.50	0.22	13.36	0.12	10.83
अन्य मांस	टन	0.50	17.18	0.59	19.03	0.78	27.80	0.88	30.65
संसाधित मांस	टन	0.07	2.75	0.13	4.47	0.10	3.22	0.12	4.14
दुग्ध उत्पाद	कि.ग्रा.	18303.41	371.58	16906.34	254.84	23393.63	312.59	13643.20	254.12
कुककूट उत्पाद		0.00	26.42	0.00	29.46	0.00	26.87	0.00	41.80
पुष्प उत्पाद	कि.ग्रा.	4768.81	114.40	5568.39	133.81	6241.10	136.46	6374.48	174.09
प्राकृतिक रबड़	टन	458.38	4671.64	426.19	4374.63	469.76	5343.74	582.35	6127.66
मादक पेय	एल टीआर	303,459.28	2935.85	452,717.72	3590.33	563,769.85	3876.14	587,958.73	4678.72
समुद्री उत्पाद	कि.ग्रा.	50348.35	639.77	52015.03	633.39	44713.34	793.30	56933.36	1088.13
अपशिष्ट सहित कच्ची कपास	टन	233.14	2566.21	499.62	6338.92	469.13	6306.77	299.27	4383.40
कुल			144,061.67		167,981.01		156,634.82		142,216.63

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस